पावर सिस्टम ऑपरेशन कारपोरेशन लिमिटेड

(पावरग्रिड की पूर्ण स्वामित्व प्राप्त सहायक कंपनी)

POWER SYSTEM OPERATION CORPORATION LIMITED

(A wholly owned subsidiary of POWERGRID)

पंजीकृत एवं केन्द्रीय कार्यालय : प्रथम तल, बी–9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया,
कटवारिया सराय, नई दिल्ली–110 016

Registered & Corporate Office : 1st Floor, B - 9, Qutab Institutional Area,
Katwaria Sarai, New Delhi - 110 016

Website : www.nldc.in, www.nldcindia.in, Tel : 011-26536832, 26524522,
Fax : 011-26524525, 26536901

विषय सूची

निदेशक मण्डल	
निदेशकों की रिपोर्ट	1
अनुबंध-I - प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण	6
अनुबंध-II निगम अभिशासन पर रिपोर्ट	8
निगम अभिशासन पर प्रमाण-पत्र	13
अनुबंध-III कंपनी (निदेशक मण्डल की रिपोर्ट में ब्यौरों का प्रकटन) नियम, 1988 के तहत आवश्यक ब्यौरे	14
अनुबंध-IV नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियां	15
लेखाकरण नीतियां	16
तुलन पत्र	19
लाभ और हानि लेखा	20
अनुसूचियां	21
नकदी प्रवाह विवरण	36
लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	37
लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध	38

निदेशक मण्डल

एस. के. चतुर्वेदी
(अध्यक्ष 31.08.2011 तक)

आर. एन. नायक
(अध्यक्ष 01.09.2011 से)

आर.टी. अग्रवाल
(निदेशक 16.05.2011 से)

सांविधिक लेखा परीक्षक

अरूण सिंह एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, नई दिल्ली

पंजीकृत एवं केन्द्रीय कार्यालय :

प्रथम तल, बी–9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया,
कटवारिया सराय, नई दिल्ली–110 016

निदेशकों की रिपोर्ट

सेवा में

सदस्यगण,

मैं, निदेशक मंडल की ओर से पावर सिस्टम आपरेशन कारपोरेशन लिमिटेड (पोसोको) की द्वितीय निदेशक रिपोर्ट तथा खातों के लेखापरीक्षित विवरण, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट तथा वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के खातों की समीक्षा प्रस्तुत करता हूं।

आपकी कंपनी का पंजीकरण 20 मार्च, 2009 को हुआ था और इसे व्यापार की शुरूआत का प्रमाणपत्र 23 मार्च, 2010 को प्राप्त हुआ था। सिस्टम आपरेशन डिपार्टमेंट, एनएलडीसी और आरएलडीसी में कार्यरत कर्मचारियों को सेकेंडमेंट आधार पर पावरग्रिड से पोसोको में स्थानांतरित किया गया था। भारत सरकार ने अपने 27 सितम्बर, 2010 की राजपत्र अधिसूचना द्वारा अधिसूचित किया कि 01 अक्तूबर, 2010 से पावर सिस्टम आपरेशन कारपोरेशन लिमिटेड एनएलडीसी और सभी आरएलडीसी का प्रचालन करेगा।

पोसोको की राजस्व प्रणाली

सीईआरसी ने 18 सितम्बर, 2009 को क्षेत्रीय लोड डिस्पेंच केंद्रों तथा अन्य संबंधित मामलों की फीस और प्रभार विनियम अधिसूचित किया। इस विनियम के कारण पोसोको को एक स्वतंत्र राजस्व स्ट्रीम और वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त हुई है। पोसोको के एक ज्ञान आधारित संगठन होने के कारण मानव संसाधन से जुड़े व्यय अन्य प्र.और.अ. एंड एम प्रभारों से अलग कर दिए गए हैं तथा उन्हें पृथक रूप में अनुमति प्राप्त हो गई है। सीईआरसी ने एनएलडीसी और आरएलडीसी द्वारा दायर की गई याचिकाओं पर नियंत्रण अवधि 2009-14 के लिए फरवरी-मार्च, 2011 में आदेश पारित कर दिए हैं। आरएलडीसी और एनएलडीसी की सेवाएं प्राप्त कर रहे बासठ उत्पादक, इकतालीस खरीददार (लोड) और सात अंतर्राज्यीय पारेषण लाइसेंसधारी नियंत्रण अवधि 2009-14 के लिए कुल ₹934 करोड़ प्रभार का भुगतान आरएलडीसी तथा एनएलडीसी करेंगे।

वित्तीय परिणाम

₹ करोड़

	2010-11
कुल कारोबार (टर्नओवर)	116
सकल मार्जिन	59
घटाएं :	
मूल्यह्रास	31
पीबीआईटी	28
पीबीटी	27
पीएटी	11
विनियोजन	
प्रस्तावित अंतिम लाभांश	3
प्रस्तावित अंतिम लाभांश पर लाभांश कर का प्रावधान	1
एलडीसी विकास निधि का अंतरण	6

प्रचालन संबंधी विशेषताएँ

वर्ष के दौरान उत्पादन क्षमता में कुल 12160 मेगावाट की वृद्धि हुई जिससे भारत की कुल संस्थापित क्षमता 173626 मेगावाट हो गई।

पूरी की गई कुल ऊर्जा आपूर्ति (अखिल भारतीय आधार) वर्ष 2010-11 में 811 बिलियन यूनिट थी जो पिछले वर्ष के 768 बिलियन यूनिट से 5 प्रतिशत अधिक थी।

अधिकतम मांग आपूर्ति (अखिल भारतीय स्तर) वर्ष 2010-11 में 111 गीगावाट थी जो पिछले वर्ष के 100.35 गीगावाट से 5 प्रतिशत अधिक थी।

पन विघुत उत्पादन (अखिल भारतीय) 2010-11 में 123 बिलियन यूनिट था। इसमें पिछले वर्ष की तुलना में 7 प्रतिशत (8.4 बिलियन यूनिट) की वृद्धि हुई।

अंतः क्षेत्रीय विनिमय वर्ष 2010-11 में 56 बिलियन यूनिट था जो वित्त वर्ष 2009-10 के 52 बिलियन यूनिट की तुलना में 7.7% अधिक था।

यूआई बिल वित्त वर्ष 2010-11 में ₹10146 करोड़ था। वित्त वर्ष 2009-10 के ₹12987 करोड़ की तुलना में इसमें 21.8 प्रतिशत की कमी आई है।

अधिकांश समय में आवृत्ति 49.5 हर्ट्ज 50.2 हर्ट्ज की निर्धारित आईईजीसी बैंड में बनी रही। न्यू ग्रिड के लिए यह बैंड के भीतर 91 प्रतिशत समय तक रही। एस आर ग्रिड के लिए यह बैंड के भीतर 88 प्रतिशत समय तक रही। यह सीईआरसी द्वारा अधिसूचित आईईजीसी

विनियम और यूआई विनियम के अनुसार आवृत्ति बैंड को संकीर्ण करने, बेहतर उत्पादन तथा सिस्टम ऑपरेटर द्वारा रात दिन निगरानी के कारण प्राप्त किया जा सका।

टिप्पणी : सभी आंकड़े अनंतिम हैं।

सीईए और सीटीयू को आपरेशनल फीडबैक

एनएलडीसी नियम, 2005 नेशनल ग्रिड प्लानिंग द्वारा सीईए और सीटीयू को आपरेशन संबंधी फीड बैक उपलब्ध करवाना एक कार्य मानता है। पावर सिस्टम आपरेशन में सामने आ रही प्रचालनात्मक बाधाओं के बारे में तिमाही स्तर पर फीड बैक सीईए तथा सीटीयू को उपलब्ध कराया जा रहा है। कंजेशन के संबंध में तथा निकट भविष्य में संभावित कंजेशन के बारे में सिस्टम आपरेटर द्वारा फीडबैंक से योजना निर्माताओं और नीति निर्माताओं को विद्युत प्रणाली के इष्टतम विकास में सहायता मिलती है।

वित्त वर्ष 2011-12 के लिए समझौता ज्ञापन

पोसोको ने वर्ष 2011-12 के लिए पावरग्रिड के साथ अपने पहले समझौता ज्ञापन पर डीपीई के विनियम के अनुसार 25 मार्च, 2011 को हस्ताक्षर किए। इस समझौता ज्ञापन में वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान पोसोको द्वारा विभिन्न लक्ष्य प्राप्त किए जाने हैं जिनमें वित्तीय मापदंड गतिशील मापदंड और पोसोको पर लागू उद्यम विशिष्टता और कार्यकुशलता के मापदंड शामिल हैं। पोसोको के प्रचालन की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए वित्तीय संकेतकों (लाभ से जुड़े अनुपात) तथा उत्पादकता से जुड़े वित्तीय प्रतिफल को वित्तीय मापदंडों के मूल्यांकन का सूचक नहीं माना गया है। इसके बजाय आकार से जुड़े वित्तीय सूचक कुल मार्जिन, कुल बिक्री और कुल लाभों को दर्शाया गया है। इस समझौता ज्ञापन पर श्री एस. के. चतुर्वेदी, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक पावरग्रिड तथा श्री एस. के. सोनी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी पोसोको द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। निर्धारित लक्ष्यों में शामिल हैं : वेब आधारित शेडयूलिंग साफ्टवेयर का कार्यान्वयन, प्रचालन प्रक्रिया को अद्यतन बनाना, पुनर्बहाली तथा ब्लैक स्टार्ट प्रक्रिया, बड़े विनियामक पूल तथा ओपन एक्सेस के प्रभार का निपटारा तथा हितधारकों का क्षमता निर्माण तथा अक्षय ऊर्जा प्रमाणपत्र आदि का जारी किया जाना।

अखिल भारतीय स्थानांतरण क्षमता की घोषणा

रियल टाइम आपरेशन रेग्युलेशन्स, 2009 (दिसम्बर, 2009 में अधिसूचित) में कंजेशन दूर करने वाले उपायों के जरिए आरएलडीसी और एनएलडीसी को विभिन्न अंतर क्षेत्रीय गलियारों के ट्रांसफर क्षमता के आकलन का काम सौंपा गया है ताकि अंतरक्षेत्रिय ओपन एक्सेस को सुविधाजनक बनाया जा सके। उपर्युक्त के कार्यान्वयन के लिए एक प्रक्रिया एनएलडीसी और आरएलडीसी द्वारा बनाई गई एवं सीईआरसी द्वारा अनुमोदित की गई थी। मासिक ट्रांसफर क्षमता तथा इसके बाद के संशोधनों को पारदर्शी तरीके से आँकलित किया जा रहा है। इसके संबंध में सूचनाएं एनएलडीसी की वेबसाइट पर रखी जा रही है और सभी हितधारकों के लिए उपलब्ध हैं।

विद्युत विनिमय सहित अल्पकालिक ओपन एक्सेस

वर्ष 2010-11 के दौरान अल्पकालिक ओपन एक्सेस के तहत लेन देन की कुल संख्या 1983 थी तथा कुल अनुमोदित ऊर्जा की मात्रा 55.23 बिलियन यूनिट थी। जनवरी, 2011 में विद्युत विनिमय के माध्यम से 1428 मिलियन यूनिट की रिकार्ड ऊर्जा का ट्रांजेक्शन हुआ। इस माह में शामिल होने खरीददारों और विक्रेताओं की कुल संख्या 1325 थी। 25 सितम्बर, 2010 को सबसे अधिक बिजली 69.55 मिलियन यूनिट का व्यापार हुआ।

भारतीय विद्युत बाजार में एंसिलरी सेवाओं की शुरूआत

सीईआरसी (अनशिड्यूल्ड इंटरचेंज चार्जेज एंड रिले मैटर्स) रेग्युलेशन, 2009 में एनएलडीसी/ आरएलडीसी को एंसिलरी सेवाओं की पहचान करने के निदेश दिए गए ताकि ग्रिड की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उपर्युक्त के अनुसार एन एल डी सी और आर एल डी सी द्वारा भारतीय संदर्भ में एंसिलरी सेवाओं पर एक दृष्टिकोण पत्र पेपर विकसित किया गया और हितधारकों की टिप्पणियां आमंत्रित की गई थीं। सभी हितधारकों की टिप्पणियों पर विचार कर लेने तथा चर्चा होने के बाद नवम्बर, 2010 में सीईआरसी को फ्रीक्वेंसी सपोर्ट एंसिलरी सर्विस (तुरंत कार्यान्वयन के लिए चिन्हित) की शुरूआत करने के लिए एक याचिका दी गई।

विनियामक सुधार प्रक्रिया में सहभागिता

सीईआरसी द्वारा अनेक विनियम अधिसूचित किए गए हैं जिनमें शामिल हैं :

- फीस एंड चार्जेज आफ आरएलडी सीज एंड अदर रिलेटेड मैटर्स रेग्युलेशन, 2009
- मेजर्स टू रिलीव कंजेशन इन रियल टाइम आपरेशन रेग्युलेशन, 2009
- इंडियन इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कोड, 2010
- पावर मार्केट रेग्युलेशन, 2010
- रिन्युएबल एनर्जी सर्टिफिकेट मैकेनिज्म, 2010

- शेयरिंग आफ इंटरस्टेट चार्जेज एंड लासेस, 2010
- अनाशिड्यूल्ड इंटरचेंज चार्जेज एंड रिलेटेड मैट र्स (एमेंडमेंट) रेग्युलेशंस, 2010
- रेग्युलेशन आफ पावर सप्लाई रेग्युलेशन, 2010

आरएलडीसी और एनएलडीसी विनियम तैयारी के विभिन्न स्तरों पर डिजाइन और प्रचालनात्मक पक्ष पर संगत जानकारी (फीडबैक और इनपुट) देते रहे हैं। अर्थ एव भावना में इन नियमों को लागू करने की दिशा में सभी संभव प्रयास किये जा रहे हैं

प्रौद्योगिकीः उन्नयन : प्रणाली संभारिकी

विद्युत प्रणाली में जटिलता बढ़ने के कारण वाइड एरिया मेजरमेंट टेक्नोलॉजीज (डब्ल्यूएएमएस) का प्रयोग कर उसके अनुरूप मापन की आवश्यकता बढ़ गई है। इस प्रकार के समकालिक मापन पीएमयू (फेजर मेजरमेंट्स यूनिट्स) द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं और हमें विद्युत प्रणाली के गतिशील स्वरूप को समझने में सहायता देते हैं। पहली पीएमयू प्रायागिक परियोजना उत्तरी क्षेत्र (एनआर) में कार्यान्वित की गई है जिसमें उत्तरी क्षेत्र ग्रिड के आठ चुने हुए उप स्टेशनों पर पीएमयू स्थापित किए गए है और इन सभी स्थानों से उत्तरी क्षेत्र भार प्रेषण केन्द्र को आंकड़े स्थानांतरित किए गए हैं। इससे विद्युत प्रणाली परिकल्पना और ग्रिड इवेंट विश्लेषण के सुधार में मदद मिली है। इससे विद्युत प्रणाली ट्रांजिएंट को समझने में भी मदद मिली है। इस प्रकार की पाइलट परियोजनाएं अन्य क्षेत्रों में भी कार्यान्वित की जा रही है पोसोको ने सभी आरएलडीसी और एनएलडीसी में मौजूद आईटी इनफ्रास्ट्रचर के बदलाव और उसके सुधार के लिए पावरग्रिड के एलडीएंडसी विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है।

इंटरस्टेट ट्रांसमिशन चार्जेज एंड लॉसेज रेग्युलेशन, 2010 के लिए कार्यान्वयन एजेंसी

इंटर स्टेट ट्रांसमिशन चार्जेज एंड लासेज रेग्युलेशन, 2010 की साझेदारी के संबंध में 15 जून, 2010 को सीईआरसी रेग्युलेशन अधिसूचित किया गया था। नया पारेषण मूल्य निर्धारण तंत्र दूरी, निदेश और प्रवाह की मात्रा के प्रति संवेदनशील है जैसा कि राष्ट्रीय विद्युत नीति में निदेश दिया गया है। एनएलडीसी को नए मूल्य तंत्र की कार्यान्वयन एजेंसी (आईए) विनिर्दिष्ट किया गया है। आईए की जिम्मेदारियों में शामिल है, हितधारकों से अखिल भारतीय विद्युत प्रणाली आंकड़े एकत्र करना, नेटवर्क मॉडल तैयार कर उसे विधिमान्य करना तथा कनेक्शन चार्जेज (पीओसी) के परिणाम प्राप्त करना। कार्यान्वयन एजेंसी द्वार प्रस्तुत किए गए परिणामों के आधार पर सीईआरसी ने पीओसी प्रभार के खंड अधिसूचित किए हैं। वर्ष 2011-12 की हानियां और प्रभार 01 जुलाई, 2011 से लागू हैं। सीईआरसी द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार सीईआरसी द्वारा नए पारेषण मूल्य निर्धारण तंत्र के तहत अधिसूचित नई दरें अल्पकालिक ओपन एक्सेस के तहत लेन देन के लिए भी कार्यान्वित की गई है।

अक्षय ऊर्जा प्रमाणपत्र (आरईसी) कार्यतंत्र

आरईसी एक बाजार आधारित यंत्र (इंस्ट्रूमेंट) है जिससे अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में नए निवेशों में तेजी आएगी तथा अक्षय ऊर्जा की खरीदारी में प्रतिस्पर्धा की शुरूआत होगी। इस कार्यतंत्र के तहत अक्षय ऊर्जा (आरई) का उत्पाद करने वाले अब परम्परागत बिजली के मूल्य पर स्थानीय तौर पर बिजली की बिक्री कर सकते हैं तथा आरईसी के रूप में अलग से पर्यावरण में योगदान कर सकते हैं। सीईआरसी विनियामक ढांचे के तहत राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र को केंद्रीय एजेंसी विनिर्दिष्ट किया गया है।

आरईसी कार्यतंत्र की औपचारिक शुरूआत विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 18 नवम्बर, 2010 को की गई थी। इसमें एक समेकित वेब पोर्टल (www.recregistryindia.in) का अनावरण करना शामिल था जिसमें आरईसी तंत्र के प्रचालन के लिए प्रमुख पणधारियों को पहुंच प्राप्त होती है।

31 जुलाई, 2011 तक की स्थिति के अनसार 174 आरई जेनरेटर प्रत्यायित किए गए हैं, 103 आर ई जनरेटर पंजीकृत किए गए हैं तथा अब तक 90619 आरईसी जारी किए गए हैं। अब तक चार सफल आरईसी ट्रेड कार्यान्वित किए गए हैं तथा 54139 आईईसी रिडीम किए गए हैं।

अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सहभागिता

पोसोको ने अगस्त, 2010 में पेरिस, फ्रांस में आयोजित सिगरे (इंटरनेशनल काउंसिल ऑन लार्ज इलेक्ट्रिकल सिस्टम) 2010 सत्र में भाग लिया। सत्र में कंपनी द्वारा एक पर्चा "एक्सपीरिअंस ऑफ मल्टीपिल पावर एक्सचेंजः ए केस स्टडी" भी प्रस्तुत किया गया।

नवम्बर, 2010 में नई दिल्ली में टीएसओ कंपैरिजन ग्रुप की पांच दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। टीएसओ कंपैरिजन ग्रुप विद्युत प्रणाली प्रचालकों का

अंतर्राष्ट्रीय समूह है। इसका उद्देश्य है-बेंचमार्किंग के प्रायोजन से वर्तमान और भावी प्रचालन पद्धतियों के बारे में सूचनाओं का आदान-प्रदान करना। इस समय विश्व भर से बाईस पारेषण प्रणाली प्रचालक (टीएसओ) सदस्य हैं। इस कार्यशाला में चौदह देशों के 16 टीएसओ के इकत्तीस सहभागियों ने भाग लिया।

पोसोको ने अक्तूबर, 2010 में मैड्रिड स्पेन में आयोजित वेरी लार्ज पावर ग्रिड आपरेटर्स (वीएलपीजीओ) स्टिअरिंग कमेटी की वार्षिक बैठक में भाग लिया। वीएलपीजीओ दुनिया के विभिन्न देशों में 50,000 मेगावाट से अधिक आकार वाले प्रचालनरत पावरग्रिड के संगठनों का समूह है। विश्व भर में बारह संगठन वीएलपीजीओ के सदस्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वीएलपीजीओ कार्य समूह, कार्यशालाओं की गतिविधियों में भागीदारी से ज्ञान, नई प्रौद्योगिकी (जैसे सिंक्रोफेजर्स, रीन्यूएब्लस, एचवीडीसी, पावर सिस्टम रेस्टोरेशंस, ब्लैक आउट से बचने के एहतियाती उपाय आदि तथा विद्युत प्रणाली प्रचालनों में सर्वोत्तम पद्धतियों के क्षेत्र में ज्ञान के आदान-प्रदान से पोसोको को लाभ हुआ है।

जनवरी, 2011 में उदयपुर में विद्युत के संबंध में सार्क विशेषज्ञ समूह की एक बैठक आयोजित की गई थी। बैठक की कार्यसूची में शामिल थे सार्क देशों के विद्युत मार्किट (एसएएमई) के लिए रोडमैप पर विचार करना, विशेषज्ञ समूह के टीओआर के अनुसार कार्य योजना पर विचार करना, ग्रिड इंटर कनेक्शन के सामान्य पक्षों पर सामान्य टेंपलेट के संशोधित प्रारूप पर विचार/ समीक्षा।

भार प्रेषकों का मंच

विनियामकों के फोरम (एफओआर) द्वारा ''फोल्ड'' (फोरम आफ लोड डिस्पैचर्स) का गठन किया गया है। एनएलडीसी को फोल्ड का सचिवालय निर्दिष्ट किया गया है। फोल्ड ने वर्ष के दौरान प्रणाली प्रचालन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए बैठकें आयोजित कीं जिसमें राज्य स्तर, क्षेत्र स्तर तथा राष्ट्रीय स्तर के लोड डिस्पैचरों ने भाग लिया।

शिक्षण और विकासात्मक गतिविधियां

एक अद्वितीय उद्योग- शिक्षा एसोसिएशन के सृजन के लिए जामिया मिलिया इस्लामिया (जेएमआई) तथा पावरग्रिड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। की गई प्रथम पहल के रूप में पोसोको के भार प्रेषक जेएमआई के अति उन्नत स्काडा प्रयोगशाला के लिए प्रशिक्षित किए जाएंगे और उन्हें प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा।

पोसोको ने विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी किए गए मैनपावर, सर्टिफिकेशन एंड इंसेटिव फार सिस्टम आपरेशन एंड रिंग फेसिंग आफ लोड डिस्पैच सेंटर्स, संबंधी रिपोर्ट में की गई सिफारिश के अनुसार सिस्टम आपरेटरों का अधिप्रमाणन स्वतंत्र एजेंसी द्वारा कराने के संबंध में पहल की है। विद्युत प्रणाली प्रचालन की जरूरतों को पूरा करने के लिए पोसोको और राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान द्वारा विशिष्ट रूप से एक प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया गया है। राष्ट्रीय/ क्षेत्रीय/ राज्य स्तर के भार प्रेषण केंद्रों के प्रणाली प्रचालकों को एनपीटीआई में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पहली प्रमाणपत्र परीक्षा नवम्बर, 2011 में आयोजित होने की संभावना है।

पोसोको अपने कर्मचारियों तथा हितधारकों की क्षमता बढ़ाने के लिए नियमित रूप से शिक्षण और विकास कार्यक्रम आयोजित करता है।

कर्मचारी संलग्नता पहल

अक्तूबर, 2010 में प्रथम अंतर आरएलडीसी सांस्कृतिक मीट और हस्तशिल्प प्रदर्शनी आयोजित की गई। पूर्व क्षेत्रीय भार प्रेषण केंद्रों ने नवम्बर, 2010 में आयोजित पावरग्रिड अंतर क्षेत्रीय सांस्कृतिक मीट में प्रथम स्थान प्राप्त किया।

पूरे वर्ष 2010-11 के दौरान इन हाऊस क्विज पिकनिक और राष्ट्रीय महोत्सव के आयोजन जैसी अन्य पहलें चलती रही हैं।

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण

निदेशक की रिपोर्ट के कुछ मुद्दों के अतिरिक्त प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण संबंधी रिपोर्ट में कुछ मुद्दे लाए गए हैं जो **अनुबंध-I** पर है।

लेखा परीक्षक

अरूण सिंह एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, नई दिल्ली को नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक (सीएंडएजी) वर्ष 2010-11 के लिए कंपनी का सांविधिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया।

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट तथा नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

हितधारकों की सांविधिक लेखापरीक्षक रिपोर्ट में कोई अर्हता शामिल नहीं है। प्रमुख निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा के कार्यालय तथा पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड-III, नई दिल्ली ने अपने 4 जुलाई, 2011 के पत्र द्वारा सूचित किया कि मेरे द्वारा की गई लेखापरीक्षा के

आधार पर मेरे संज्ञान में ऐसा कुछ उल्लेखनीय सामने नहीं आया है जिससे कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षक रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी की जा सके या उसमें कुछ जोड़ा जा सके। यह **अनुबंध-IV** के रूप में संलग्न है।

निदेशक के दायित्व के संबंध में विवरण

निदेशक के दायित्व संबंधी विवरण के बारे में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(ए ए) के तहत जरूरतों के अनुसार एतद्द्वारा पुष्टि की जाती है कि:

(i) 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखाओं की तैयारी में लागू होने वाले लेखा संबंधी मानकों का अनुसरण किया गया है।

(ii) निदेशकों ने ऐसी लेखा नीतियों का चयन किया, उनका लगातार प्रयोग किया और निर्णय तथा आकलन किए जो इतने उचित और समझदारीपूर्ण थे जिनसे वर्ष के अंत में कंपनी के कार्यों तथा आलोच्य अवधि के दौरान कंपनी के लाभ और हानि की सही और उचित तस्वीर प्राप्त हो सके।

(iii) निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा तथा जालसाजी और अन्य अनियमितताओं से बचने के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा संबंधी रिकार्डों के रख-रखाव पर उचित ध्यान दिया है।

(iv) निदेशकों ने चालू प्रतिष्ठान आधार पर 31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष की लेखाओं को तैयार किया है।

कर्मचारियों का विस्तृत ब्योरा 217(2 ए)

पोसोको में मुख्य रूप से पावरग्रिड के 5 आरएलडीसी, एनएलडीसी और पोसोको केंद्रीय कार्यालय के कर्मचारी आते हैं जिन्हें सेकेंडमेंट आधार पर प्रतिनियुक्त किया गया है।

वर्तमान में पोसोको में 451 कर्मचारी हैं जिनमें 256 कार्यकारी तथा 195 गैर-कार्यकारी हैं जो दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, बंगलौर और शिलांग स्थित भार प्रेषण केन्द्रों तथा दिल्ली स्थित राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र तथा पोसोको केंद्रीय कार्यालय में कार्यरत हैं। कंपनी (कर्मचारी विवरण) नियम, 1975 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2ए) यथासंशोधित के तहत खुलासा नहीं किया गया है क्योंकि ऐसा कोई कर्मचारी नहीं है जो कथित उल्लिखित नियमों के अनुसार पारिश्रमिक प्राप्त कर रहा हो।

ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी का समावेश, विदेशी मुद्रा में आय तथा व्यय

ऊर्जा के संरक्षण, प्रौद्योगिकी के समावेश और विदेशी मुद्रा की आय तथा खर्च से संबंधित ब्यौरे **अनुबंध-III** पर संलग्न हैं।

निगम अभिशासन

इस रिपोर्ट का भाग बनने वाली अभिशासन रिपोर्ट तथा उससे संबंधित प्रमाणपत्र इस रिपोर्ट के **अनुलग्नक-II** पर संलग्न है।

पोसोको बोर्ड

वर्ष के दौरान कंपनी के बोर्ड में कुछ परिवर्तन हुए। अधिवर्षिता के कारण श्री जे. श्रीधरन, निदेशक (वित्त) पावरग्रिड ने 30.04.2011 को पावर सिस्टम आपरेशन कारपोरेशन के निदेशक पद से त्याग पत्र दे दिया तथा श्री आर.टी. अग्रवाल [तत्कालीन कार्यकारी निदेशक (वित्त) पावरग्रिड] को 16.5.2011 को पावर सिस्टम आपरेशन कारपोरेशन का अपर निदेशक नियुक्त किया गया।

पावरग्रिड के बोर्ड के स्वतंत्र निदेशक श्री एफ. ए. वांद्रेवाला, जिन्हें पावरग्रिड द्वारा पावर सिस्ट म आपरेशन कारपोरेशन लिमिटेड बोर्ड में नामित किया गया था, ने भी पावरग्रिड में अपना कार्यकाल पूरा होने पर 10.07.2011 (पूर्वाह्न) को त्यागपत्र दे दिया।

इस समय कंपनी के बोर्ड में श्री एस. के. चतुर्वेदी, श्री आर. एन. नायक तथा श्री आर. टी. अग्रवाल हैं।

आभार

बोर्ड देश की विद्युत प्रणाली के प्रचालन पोसोको को सौंपे गए अन्य कार्यों को सम्पन्न करने में बहुमूल्य समर्थन देने के लिए विद्युत मंत्रालय, डीपीई, सीईए, सीईआरसी, क्षेत्रीय विद्युत समिति/ समितियों तथा अन्य हितधारकों को अपना अमूल्य सहयोग देने के लिए तथा पावरग्रिड को दिशा निर्देशन के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता है।

पावर सिस्टम आपरेशन कारपोरेशन लिमिटेड
की ओर से और उसके लिए

(एस के. चतुर्वेदी)
अध्यक्ष

दिनांकः 26.07.2011
स्थानः नई दिल्ली

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण

पोसोको की संरचना

विद्युत मंत्रालय ने अपने दिनांक 27.09.2010 की अधिसूचना द्वारा अधिसूचित किया कि दिनांक 01.10.2010 से पोसोको पांच आरएलडीसी और एनएलडीसी को प्रचालित करेगा। विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 28 के अनुसार आरएलडीसी संबंधित क्षेत्र में समेकित प्रचालन सुनिश्चित करने वाला शीर्ष निकाय है। विद्युत मंत्रालय के दिनांक 02.03.2005 की अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रीय विद्युत प्रणाली के समेकित प्रचालन को सुनिश्चित करने के लिए एनएलडीसी को निर्दिष्ट किया गया है। आरएलडीसी और एनएलडीसी राष्ट्रीय महत्व के कार्य संपन्न कर रही हैं तथा उचित पारदर्शी और तटस्थ रीति से सांविधिक कार्य सम्पन्न कर रही है जो उन्हें विद्युत अधिनियम, 2003 और विद्युत मंत्रालय द्वारा अधिसूचित एन एल डी सी नियम के तहत सौंपा गया है।

वित्तीय आत्म-निर्भरता सुनिश्चित करने के लिए 18.09.2010 को सीईआरसी द्वारा आरएलडीसी फीस और प्रभार विनियम अधिसूचित किए गए हैं जो पोसोको की राजस्व प्रवाह को अधिशासित करते हैं। मानव संसाधन व्यय पोसोको के संपूर्ण व्यय के अति महत्वपूर्ण और प्रमुख घटक है तथा विनियम में इन्हें अलग से अनुमति दी गई है। यह विनियम पोसोको के लिए वित्तीय स्वायत्तता को सुविधाजनक बनाता है और इसे किसी बजटीय सहायता के बिना आत्मनिर्भर बनाता है।

पोसोको के कर्मचारी पावरग्रिड से सेकेंडमेंट आधार पर स्थानांतरित किए गए हैं तथा इसकी मानव संसाधन संबंधी नीतियां पावरग्रिड की नीतियों के अनुरूप हैं।

पोसोको एक ज्ञान आधारित संगठन है। आरएलडीसी और एनएलडीसी परिसंपत्तियों में मुख्य रूप से क्षेत्रीय ग्रिड और राष्ट्रीय ग्रिड के प्रचालन के लिए एससीडीए और आईटी प्रणालियां शामिल हैं।

विद्युत प्रणाली विकास कोष (पीएसडीएफ)

सीईआरसी ने 04.06.2010 को विद्युत प्रणाली विकास कोष अधिनियम अधिसूचित किया है। विद्युत प्रणाली विकास कोष विनियम में एक प्रबंधन समिति का भी प्रावधान है जिसमें एनएलडीसी के अध्यक्ष आरएलडीसी के अध्यक्ष तथा सीईआरसी द्वारा अधिसूचित अन्य सदस्य आते हैं। इस निधि के सचिवालय का प्रबंधन एन एल डीसी द्वारा किया जाता है।

वित्तीय चर्चा और विश्लेषण

अचल परिसंपत्तियां :

31 मार्च, 2011 को आपकी कंपनी की कुल परिसंपत्तियां मूल्यह्रास के बाद ₹51.14 करोड़ थी। अचल परिसंपत्तियों में मुख्य रूप से स्काडा के हार्डवेयर, साफ्टवेयर तथा अन्य उपकरण आते हैं।

ऋण और अग्रिम

31 मार्च, 2011 को आपकी कंपनी का कुल ऋण और अग्रिम ₹46.49 करोड़ था। इसमें कर्मचारियों तथा अन्य को दिए गए ऋण तथा ₹19 करोड़ का अग्रिम कर शामिल है।

अन्य चालू परिसंपत्तियां

31 मार्च, 2011 को हमारी अन्य चालू परिसंपत्तियां ₹11.90 करोड़ थी जो बैंकों के फ्लेक्सी डिपाजिट के ब्याज से प्राप्त हुई थी।

विविध देनदार

₹90.02 करोड़ के विविध देनदारों में मुख्य रूप से आर एल डी सी और एन एल डी सी की फीस और प्रभार से जुड़ी पावना राशि शामिल थे जिन्हें फरवरी-मार्च, 2011 में सीईआरसी द्वारा आदेश पारित किए जाने के बाद मार्च, 2011 में पिछले सप्ताह बिल में शामिल किया गया था।

अरक्षित ऋण

हमारी कंपनी के अरक्षित ऋण ₹89.35 करोड़ थे जिसमें ₹40.31 करोड़ होल्डिंग कंपनी पावरग्रिड

कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड अंतरित परिसंपत्तियों के संबंध में ऋण देयता लेने के कारण तथा कार्यशील पूंजी आवश्यकता के लिए पावरग्रिड से लिए गए ऋण के कारण था।

वर्तमान देयताएं

31 मार्च, 2011 को आपकी कंपनी की चालू देयताएं ₹971.12 करोड़ थीं जो मुख्य रूप से सीईआरसी विनियमों के रूप में प्रचालित और अनुरक्षित निर्दिष्ट खातों के कारण थीं।

आकस्मिक देयता

₹99.84 लाख की आकस्मिक देयता वित्त वर्ष 2010-11 के लिए डब्ल्यूआरपीसी मुंबई, द्वारा आफिस और स्टाफ क्वार्टर के लिए मांगा गया किराया है जिस पर कंपनी ने एतराज जताया है और कंपनी ने विद्युत मंत्रालय से कार्यालय स्थान और आवासीय क्वार्टरों के स्वामित्व के अंतरण की मांग की है।

पावर सिस्टम आपरेशन कारपोरेशन लिमिटेड

की ओर से और उसके के लिए

(एस के. चतुर्वेदी)
अध्यक्ष

दिनांकः 26.07.2011
स्थानः नई दिल्ली

निदेशक की रिपोर्ट का अनुबंध-II

निगम अभिशासन संबंधी रिपोर्ट

निदेशक निगम अभिशासन संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

1. कंपनी के अभिशासन का दर्शन

कारपोरेट अभिशासन कंपनी में विभिन्न हितधारकों के सर्वोत्तम हित में कारपोरेट निष्पक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने से संबंध रखता है। यह एक प्रणाली है जिसके द्वारा व्यापारिक निगमों को निदेश दिया जाता है और उन्हें नियंत्रित किया जाता है। पोसोको का विश्वास है कि अच्छे अभिशासन में प्रबंधन का ट्रस्टीशिप, समर्थ बनाना तथा जवाबदेही आते है साथ ही यह सरकारी नीतियों के प्रति सक्रिय रहता है। पोसोको की अभिशासन प्रक्रिया निम्नलिखित मिशन के प्रति समर्पित रहती है।

- देश में निर्बाध, सुरक्षित विश्वसनीय और गुणवत्ता विद्युत की आपूर्ति के लिए ''मिशन क्रिटिकल एक्टिविटी''
- बहुमूल्य विद्युत उत्पादन संसाधनों के इष्टतमीकरण तथा अंतर्निहित प्रणाली हानियों के न्यूनतमीकरण के लिए ''अथक प्रयास''
- कार्यकुशल विद्युत बाजार के लिए ''सुविधाप्रदाता''
- देश में पारेषण अवसंरचना के समान और उचित प्रयोग के लिए ''वाहन''
- प्रशासकों, योजना बनाने वालों और विनियामकों और दूसरे सिरे पर भौतिक प्रणाली के बीच ''महत्वपूर्ण कड़ी''

बोर्ड ने वित्तीय मामलों में अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए एक लेखापरीक्षा समिति का गठन किया है।

निदेशक की रिपोर्ट के **अनुबंध**-I पर प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण संलग्न है।

कंपनी ने निगम अभिशासन की शर्तों का अनुपालन किया है और उस संबंध में खुलासा करने की आवश्यकताएं नीचे दी गई हैं :

2. निदेशक मंडल

2.1 बोर्ड का आकार

पोसोको कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 के अर्थों के भीतर पावरग्रिड के संपूर्ण स्वामित्व वाली उसकी सहायक कंपनी है। संघ के अनुच्छेदों के अनुसार निदेशक मंडल की संरचना समय-समय पर भारत के माननीय राष्ट्रपति/भारत सरकार द्वारा निर्धारित होगी।

कंपनी के संगम अनुच्छेद के अनुसार हमारे बोर्ड में कम से कम तीन निदेशक होंगे तथा अधिक से अधिक पंद्रह निदेशक होंगे। ये निदेशक या तो पूर्णकालिक निदेशक होंगे या आंशिक निदेशक या अन्यथा होंगे।

2.2 बोर्ड की संरचना

31 मार्च, 2011 को पावरग्रिड (पोसोको की धारक कंपनी) के निदेशक मंडल में 03 निदेशक नामतः श्री एस. के. चतुर्वेदी, सीएमडी, पावरग्रिड, श्री जे. श्रीधरन, निदेशक (वित्त) पावरग्रिड और श्री आर. एन. नायक, निदेशक (प्रचालन), पावरग्रिड थे तथा पावरग्रिड के एक निदेशक नामतः श्री एफ. ए. वांद्रेवाला (संगत अनुच्छेद के अनुच्छेद 40(क) से (V) के अनुसार) पावर सिस्टम आपरेशन कारपोरेशन लिमिटेड के बोर्ड में थे।

कंपनी के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध नहीं हैं।

2.3 निदेशकों की आयु सीमा और कार्यकाल

पावरग्रिड द्वारा नामित स्वतंत्र निदेशक को छोड़कर अध्यक्ष और निदेशकों की आयु-सीमा 60 वर्ष है।

31 मार्च, 2011 को निदेशकों का कार्यकाल इस प्रकार था।

नाम और पदनाम	बोर्ड में कार्यभार संभालने की तारीख*
श्री एस. के. चतुर्वेदी, अध्यक्ष	20.03.2009
श्री जे. श्रीधरन, निदेशक	20.03.2009
श्री आर. एन. नायक, निदेशक	29.09.2009
श्री एफ. ए. वांद्रेवाला, निदेशक	20.10.2010

* *पावरग्रिड के बोर्ड के निदेशक/पोसोको में निदेशक के रूप में तैनात अधिकारी कार्यकाल पूरा होने पर/ अधिवर्षिता प्राप्त होने पर/ पावरग्रिड से नामांकन वापस लेने पर पोसोको के बोर्ड में नहीं रह सकेंगे।*

2.4 बोर्ड की बैठकें और उपस्थिति

निदेशक मंडल की बैठकें आमतौर पर कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जाती है। आमतौर पर बैठकें काफी पहले तय कर ली जाती हैं तथा नोटिस बोर्ड की विस्तृत कार्यसूची, प्रबधन रिपोर्टें तथा बोर्ड के अन्य व्याख्यात्मक नोट निदेशकों में परिचालित किए जाते हैं। बोर्ड के सदस्यों की कारपोरेशन की सभी सूचनाओं तक पहुंच होती है। पोसोको के सीईओ बोर्ड की सभी बैठकों में विशेष आमंत्रिती होते हैं।

31 मार्च, 2011 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान कुल पांच बैठकें आयोजित की गई थीं - 25 मई, 26 जुलाई, 6 अगस्त और 20 अक्तूबर को वर्ष 2010 में तथा 15 मार्च को वर्ष 2011 में। बोर्ड की इस अवधि के दौरान दो बैठकों के बीच अधिक से अधिक 147 दिनों का अंतराल था। वर्ष 2010-11 के दौरान निदेशकों द्वारा बैठक में भाग लेने, पिछली वार्षिक आम सभा में उपस्थिति, अन्य निदेशकों पदों, समिति के सदस्यों की संख्या (नामतः डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार लेखापरीक्षा समिति तथा पणधारी शिकायत समिति) नीचे सारणी में दी गई है।

निदेशक का नाम	संबंधित निदेशक के कार्यकाल में आयोजित बैठक		पिछली वार्षिक आम सभा में (23.09.10 को आयोजित) में उपस्थिति	31.3.11 को धारित अन्य निदेशक के पदों की संख्या	31.3.11 को धारित अन्य समिति की सदस्यता की संख्या	
					अध्यक्ष	सदस्य
गैर-कार्यपालक निदेशक						
श्री एस. के. चतुर्वेदी, अध्यक्ष	5	5	हां	8	शून्य	शून्य
श्री जे. श्रीधरन, निदेशक	5	5	हां	2	शून्य	1
श्री आर. एन. नायक, निदेशक	5	5	हां	2	शून्य	शून्य
श्री एफ. ए. वांद्रेवाला #	2	2	लागू नहीं *	1	1	लागू नहीं

\# *पावरग्रिड बोर्ड के स्वतंत्र निदेशक श्री एफ. ए. वंद्रेवाला को 20.10.2010 को पोसोको के बोर्ड में अपर निदेशक नियुक्त किया गया था। पहले, पावरग्रिड में 10.07.2010 को स्वतंत्र निदेशक का कार्यकाल पूरा हो जाने पर श्री एफ. ए. वांद्रेवाला ने 10.07.2010 को कंपनी के निदेशक पद से त्याग पत्र दे दिया था। पोसोको की लेखापरीक्षा समिति 15.03.2011 को आयोजित बोर्ड की बैठक में गठित की गई थी। अतः लेखापरीक्षा समिति की वार्षिक आम सभा की बैठक (23.09.2010 को आयोजित) में अध्यक्ष की उपस्थिति का प्रश्न ही नहीं उठता।*

2.5 निदेशक मंडल के समक्ष रखी जाने वाली सूचनाओं में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातें शामिल हैं:

बोर्ड की कंपनी की सभी सूचनाओं तक पूरी पहुंच है। बोर्ड को नियमित रूप से दी जाने वाली सूचनाओं में निम्नलिखित शामिल है :

वार्षिक प्रचालन योजनाएं तथा बजट एवं कोई अद्यतन
वार्षिक खाते, निदेशक की रिपोर्ट आदि
कंपनी के तिमाही परिणाम
लेखापरीक्षा समिति की बैठकों के कार्यवृत्त
निदेशकों द्वारा अन्य कंपनियों में धारित निदेशक के पद, समिति में हैसियत के बारे में उनके द्वारा किया गया खुलासा
वास्तविक रूप से महत्वपूर्ण अन्य कोई सूचना।

3. निदेशक मंडल की समिति

पोसोको के बोर्ड ने 15 मार्च, 2011 को आयोजित अपनी बैठक में एक लेखापरीक्षा समिति का गठन किया है जिसके सदस्य इस प्रकार हैं :

श्री एफ. ए. वंद्रेवाला, अंशकालिक निदेशक - सदस्य और अध्यक्ष

श्री जे. श्रीधरन, निदेशक - सदस्य

श्री आर. एन. नायक, निदेशक - सदस्य

लेखापरीक्षा समिति की शक्तियां, भूमिका, कार्य आदि कंपनी अधिनियम और सरकारी दिशानिर्देशों द्वारा अभिशासित होते हैं। 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

4. अनुपालन अधिकारी

कंपनी के लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी किए गए निगम अभिशासन संबंधी दिशानिदेशों के कार्यान्वयन के लिए 16 मई, 2011 को एक अनुपालन अधिकारी को नामित किया।

5. निदेशकों को पारिश्रमिक

15.03.2011 को आयोजित कंपनी के बोर्ड की बैठक में पावरग्रिड द्वारा पोसोको के बोर्ड में नामित किए गए स्वतंत्र निदेशक को ₹10,000/- सिटिंग फीस के भुगतान को मंजूरी दी गई। इसके अतिरिक्त किसी अन्य निदेशक को कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा।

6. आम सभा की बैठक

सिस्टम आपरेशन के लिए दिनांक 4.7.2008 को सरकारी निदेशों के अनुसार पावरग्रिड के संपूर्ण स्वामित्व में सहायक कंपनी के रूप में पोसोको की स्थापना की गई है। कंपनी ने व्यापार के शुरूआत का प्रमाणपत्र 23.3.2010 को प्राप्त किया तथा कंपनी की वार्षिक आम सभा की प्रथम बैठक 23.09.2010 को संपन्न हुई थी।

उपर्युक्त वार्षिक आम सभा की बैठक की तारीख, समय और स्थान इस प्रकार था :

वर्ष	तारीख	समय	स्थान	विशेष प्रस्ताव
2009-10	23 सितम्बर, 2010	4.30 बजे सायं	प्रथम तल, बी-9 कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली-16	शून्य

7. प्रकटन

(i) इंस्टीट्यूट आ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स आफ इंडिया द्वारा जारी किए गए तथा लेखा मानक संबंधी राष्ट्रीय सलाहकार समिति के परामर्श से भारत सरकार द्वारा अधिसूचित लेखा मानक-18 के अनुसार संबंधित लेन देन के ब्यौरे लेखा टिप्पणियों में शामिल किए गए हैं।

(ii) कंपनी के सीईओ ने बोर्ड के वित्तीय विवरण को प्रमाणित कर दिया है।

(iii) पोसोको के पास वास्तविक गैर-सूचीबद्ध भारतीय सहायक कंपनी नहीं है।

(iv) संबंधित पक्षों के साथ वास्तविक वैयक्तिक लेनदेन जो सामान्य व्यापारिक कार्यों से अलग हो, नही है।

(v) संबंधित पक्षों या अन्य के पास वास्तविक वैयक्तिक लेनदेन जो निकटता के आधार पर हो, नही है।

(vi) वर्ष के दौरान पूंजी मार्किट से संबंधित मामले में गैर-अनुपालन के लिए किसी सांविधिक प्राधिकारी द्वारा कंपनी पर कोई जुर्माना अथवा स्ट्रिक्चर अधिरोपित नहीं किया गया।

(vii) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 की उप-धारा 3(सी) में संदर्भित लेखा मानकों के अनुसार वित्त वर्ष 2010-11 के तुलनपत्र, लाभ और हानि खाता तथा नकदी प्रवाह विवरण तैयार किए गए है।

8. सूचित करने के माध्यम

कंपनी अपनी वार्षिक रिपोर्ट, आम बैठक, समाचारपत्रों तथा वेबसाइट के जरिए खुलासे के माध्यम से अपने शेयर धारकों को सूचित करती है।

कंपनी द्वारा दी गई सूचनाएं और नवीनतम जानकारियों तथा घोषणाएं कंपनी की वेबसाइट http://posoco.in में देखी जा सकती है।

9. आचार-संहिता

धारक कंपनी पावरग्रिड के निदेशक मंडल ने दो अलग-अलग व्यापार आचरण और नैतिकता संबंधी आचार-संहिताएं तैयार की हैं - एक बोर्ड के सदस्यों के लिए और दूसरी वरिष्ठ प्रबंधन के लिए। पोसोको के वरिष्ठ प्रबंधन होल्डिंग कंपनी अर्थात पावरग्रिड से सेकेंडमेंट आधार पर हैं। अतः पावरग्रिड में लागू आचार-संहिता का अनुसरण किया जा रहा है।

10. शेयर धारकों की सूचनाएं

(i) वार्षिक आम बैठक

तारीख : 24 अगस्त, 2011
समय : 10.00 बजे प्रातः
स्थान : प्रथम तल, बी-9 कुतुब इंस्टिट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली-110016

(ii) वित्त वर्ष

कंपनी का वित्त वर्ष 01 अप्रैल से 31 मार्च तक है।

(iii) लाभांश का भुगतान

बोर्ड ने 31.03.2011 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए 10 प्रतिशत की दर से अर्थात ₹3.06 करोड़ के लाभांश की अनुशंसा की है।

(iv) बकाया जीडीआर/ एडीआर/ वारंट या कोई परिवर्तनीय लिखत, परिवर्तन की तारीख और इक्विटी पर संभावित प्रभाव

कंपनी द्वारा कोई जीडीआर/ एडीआर/ वारंट या परिवर्तनीय लिखत जारी नहीं किया है।

(v) पोसोको के संयत्रों का स्थान

पोसोको का कोई संयंत्र नहीं है।

(vi) पत्राचार के लिए पता

पावर सिस्टम आपरेशन कारपोरेशन लिमिटेड,
प्रथम तल, बी-9 कुतुब इंस्टिट्यूशनल एरिया,
कटवारिया सराय,
नई दिल्ली-110016

	टेलीफोन नम्बर	फैक्स नम्बर
पंजीकृत कार्यालय	011-26536832, 26524522	011-26524525, 26536901
वेबसाइट	www.nldc.in	

पावर सिस्टम आपरेशन कारपोरेशन लिमिटेड

की ओर से और उसके लिए

(एस के. चतुर्वेदी)
अध्यक्ष

दिनांकः 26.07.2011

स्थानः नई दिल्ली

गैर अनिवार्य आवश्यकताएं

1. **बोर्ड :** कंपनी के अध्यक्ष एक गैर-कार्यकारी अध्यक्ष हैं। निदेशक रह चुका कोई ऐसा व्यक्ति स्वतंत्र निदेशक नहीं बनाया गया है जिसकी कुल मिलाकर पोसोको के बोर्ड में अवधि नौ वर्ष से अधिक हो।
2. **लेखापरीक्षा योग्यताएं :** वर्ष 2010-11 के वित्तीय विवरण की कोई लेखापरीक्षा अर्हता नहीं है।
3. **बोर्ड के सदस्यों का प्रशिक्षण :** निम्नलिखित मामलों में निदेशकों को प्रशिक्षण दिया गयाः
   - पोसोको के संबंध में निदेशकों को समग्र प्रस्तुतीकरण दिया गया ताकि कंपनी के कार्यों के बारे में उन्हें अंतर्दृष्टि दी जा सके।
   - पोसोको से संबंधित मुद्दों पर प्रस्तुतीकरण।

निगम अभिशासन के संबंध में प्रमाणपत्र

सेवा में
सदस्यगण,
पावर सिस्टम आपरेशन कारपोरेशन लिमिटेड

मैंने 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए पावर सिस्टम आपरेशन कारपोरेशन द्वारा निगम अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच पड़ताल की है, जैसा कि डीपीई दिशानिर्देशों में कहा गया है

निगम अभिशासन की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। मेरी जांच-पड़ताल निगम अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन तक सीमित थी।

यह कंपनी के वित्तीय विवरण के संबंध में न तो लेखा परीक्षा है और न ही अपने मत की अभिव्यक्ति।

मेरी राय में और मेरी सर्वोत्तम सूचना के अनुसार और मुझे दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार मैं प्रमाणित करता हूं कि कंपनी ने निगम अभिशासन की शर्तों का अनुपालन किया है। अपवाद केवल यह है कि 15 मार्च, 2011 को गठित लेखापरीक्षा समिति की बैठक 16 मई, 2011 को हुई तथा कंपनी ने लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी किए गए सीपीएसई के लिए निगम अभिशासन से संबंधित दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन के लिए 16 मई, 2011 को एक अनुपालन अधिकारी को नामित किया।

मेरा पुनः यह कहना है कि यह अनुपालन न तो कंपनी की भावी जीवंतता का आश्वासन है और न ही उस कार्यकुशलता या प्रभावकारिता को व्यक्त करता है जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों को चलाया है।

(टी. वी. नारायणस्वामी)
कंपनी सचिव

दिनांकः 25.07.2011
स्थानः नई दिल्ली

निदेशक की रिपोर्ट का अनुबंध-III

कंपनी (निदेशक मंडल की रिपोर्ट में ब्यौरों का प्रकटन) नियम, 1988 के तहत आवश्यक ब्यौरे

क. ऊर्जा का संरक्षण

पोसोको का हर संभव प्रयास रहा है कि इसके सभी आर एल डी सी और एन एल डी सी में ऊर्जा के संरक्षण संबंधी सभी उपाय किए जाएं। ऊर्जा लेखापरीक्षा करके और ऊर्जा खपत में कमी लाकर ऊर्जा संरक्षण संबंधी उपाय किए जाते हैं।

ख. अनुसंधान और विकास

पोसोको का प्रयास रहा है कि आर एल डी सी और एन एल डी सी के स्तर में सुधार लाने के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाए। विद्युत प्रणाली के गतिशील व्यवहार को समझने के लिए उत्तरी क्षेत्र (एन आर) में प्रथम पीएमयू पाइलट परियोजना शुरू की गई है। इससे विद्युत प्रणाली की परिकल्पना और ग्रिड इवेंट विश्लेषण में मदद मिली है। इससे विद्युत प्रणाली के ट्रांजिएंट को समझने में भी मदद मिली है।

ग. विदेशी मुद्रा आय तथा व्यय।

(₹ करोड़)

विदेशी मुद्रा आय	शून्य
विदेशी मुद्रा का व्यय	
(i) आरएलडीसी के एससीएडीए- ईएमएस सिस्टम की मरम्मत और अनुरक्षण	2.92
(ii) विदेशी प्रशिक्षण	0.01

पावर सिस्टम आपरेशन कारपोरेशन लिमिटेड
की ओर से और उसके लिए

(एस के. चतुर्वेदी)
अध्यक्ष

दिनांकः 26.07.2011
स्थानः नई दिल्ली

निदेशक की रिपोर्ट का अनुबंध-IV

31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए पावर सिस्टम कारपोरेशन लिमिटेड के लेखे के संबंध में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के तहत भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए पावर सिस्टम आपरेशन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक अपनी व्यावसायिक संस्था, दि इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट आफ इंडिया द्वारा निर्धारित लेखापरीक्षा और आश्वासन मानकों के अनुसार की गई स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के तहत इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। उनके दिनांक 16 मई, 2011 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार यह कार्य उनके द्वारा कर दिया गया है। मैंने भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की ओर से 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए पावर सिस्टम ऑपरेशन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वित्तीय विवरणों की कंपनी अधिनियम ,1956 की धारा 619(3) के तहत पूरक लेखापरीक्षा की है। यह पूरक लेखापरीक्षा स्वतंत्र रूप से की गई है तथा इसमें सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्य से जुड़े कागजात नहीं देखे गए हैं। इसमें मुख्य रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा कंपनी के कार्मिकों से पूछताछ की गई है तथा खाते से जुड़े बहु रिकार्डों की छानबीन की गई है। मेरे द्वारा की गई लेखापरीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं आया है जिससे कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के तहत सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में कोई टिप्पणी की जाए या उसमें कुछ जोड़ा जाए।

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक

के लिए और उसकी ओर से

ह0/-

(एम. के. विश्वास)
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक
लेखापरीक्षा और पदेन सदस्य,
लेखापरीक्षा बोर्ड-III
नई दिल्ली

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 04.07.2011

लेखाकरण संबंधी नीतियां

1. वित्तीय विवरण तैयार करने के आधार

वित्तीय विवरण, परम्परागत लागत परिपाटी और आमतौर पर स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों और भारत में लागू लेखाकरण मानकों के अनुसार तैयार किए जाते हैं।

2. अनुमानों का प्रयोग

वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए ऐसे अनुमानों तथा पूर्वानुमानों की आवश्यकता पड़ती है जो दी गई परिसंपत्तियों की मात्रा और आलोच्य अवधि के दौरान राजस्व तथा व्ययों को प्रभावित करते हैं। हालांकि ऐसे अनुमान और पूर्वानुमान सभी उपलब्ध सूचनाओं को ध्यान में रखकर तर्कसंगत तथा बुद्धिमत्तापूर्ण आधार पर तैयार किए जाते हैं परंतु वास्तविक परिणाम इन अनुमानों और पूर्वानुमानों से भिन्न हो सकते हैं और ऐसी भिन्नताओं को उस अवधि का माना जाता है जिसमें परिणाम ठोस रूप धारण करते हैं।

3. प्रारक्षित विधी तथा अधिशेष

एलडीसी विकास निधि, सीईआरसी क्षेत्रिय भार प्रेषण केन्द्र तथा अन्य संबंधित मामले) रेग्युलेशन, 2009 के अनुसार सृजित की जाती है। विनियम के 9(2) के अनुसार इक्विटी पर प्राप्त प्रतिफल ऋण पर प्राप्त ब्याज, मूल्यह्रास और क्षेत्रीय लोड डिस्पैच सेंअर और एन एल डी सी की अन्य आय जैसे पंजीकरण शुल्क, आवेदन शुल्क, अल्पकालिक खुली पहुंच प्रभार आदि, एल डी सी विकास निधि में जमा किए जाएंगे। इस निधि का उपयोग ऋण की अदायगी, ब्याज और लाभांश भुगतान के रूप में ली गई पूंजी के लिए वितरण वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिए परिसंपत्ति बनाने और मार्जिन धन में निर्धारित इक्विटी हिस्सा पूरा करने के लिए तथा अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को धन प्रदान करने के लिए किया जाएगा। एलडीसी विकास निधि में जमाधन से बनाई गई कोई परिसंपत्ति का इक्विटी के प्रतिफल तथा ऋण पर ब्याज की गणना के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

4. सहायता अनुदान

4.1 परियोजनाओं, सिस्टम आपरेशन की बेहतरी तथा विशिष्ट ह्रासमान परिसंपत्तियों के लिए पूंजी व्यय के लिए केंद्र सरकार या अन्य प्राधिकरणों से प्राप्त सहायता अनुदान को अनुदान का उपयोग होने तक ''सहायता अनुदान'' के रूप में दर्शाया गया है।

4.2 संबंधित परिसंपत्तियों का पंजीकरण हो जाने पर विशिष्ट ह्रासमान परिसंपत्तियों के लिए प्राप्त अनुदान को आस्थगित अनुदान माना जाता है और इसे जीवन के उपयोग अवधि के लिए तथा इन परिसंपत्तियों के लिए जिस समानुपात में मूल्यह्रास दिया जाता है उस समानुपात में लाभ और हानि खाते में दर्ज किया जाता है।

5. अचल परिसंपत्तियां

5.1 अचल परिसंपत्तियों को परम्परागत लागत पर दर्शाया जाता है जिसमें क्रय मूल्य और अपेक्षित प्रयोग के लिए किसी परिसंपत्ति को कार्य दशा में लाने संबंधी लागत शामिल होती है।

6. चालू पूंजीगत कार्य

6.1 खपत हुई सामग्री की लागत, उससे जुड़ी उत्थापन प्रभार तथा परियोजना पर हुए संबंधित व्यय पूंजीकरण होने तक सीडब्ल्यूआईपी के रूप में दर्शाए जाते हैं।

6.2 निर्माण के दौरान ब्याज पर चल रहे कार्य के लिए पूंजीकृत हो रही विशिष्ट परिसंपत्ति या आंशिक परिसंपत्ति के लिए आबंटित कर दिया जाता है।

7. निर्माण भंडार

निर्माण भंडार का मूल्यांकन लागत पर होता है।

8. उधारी लागत

8.1 उधार ली गई सभी निधियां (कार्यशील पूंजी के लिए अल्पकालिक निधियों को छोड़कर) विशिष्ट परियोजनाओं को आबंटित की जातीहैं। उधार की निधि (जिसमें ब्याज और गारंटी फीस आदि शामिल हैं) इस प्रकार दी गई निधियों के अनुपात में परियोजनाओं को आबंटित कर दी जाती हैं।

8.2 इस प्रकार आबंटित उधार ली गई लागतें, इस आधार पर कि परियोजना निर्माणाधीन या प्रचालनाधीन है, पूंजीशील बनाई जाती हैं या राजस्व को प्रभारित की जाती हैं।

9. विदेशी मुद्रा में लेन-देन

9.1 विदेशी मुद्रा में लेन-देन, लेन-देन की तारीख को मौजूद विनिमय दर पर रिकार्ड की जाती है। विदेशी मुद्रा ऋण, जमा और देयताएं, तुलन पत्र

की तारीख को मौजूदा दरों के संबंध में परिवर्तित की जाती है।

9.2 01 अप्रैल, 2004 से पूर्व अनुबंधित लेन-देन से उत्पन्न एफईआरवी का समायोजन चल रहे पूंजी कार्य/पूंजी परिसंपत्ति के मामले में स्थिर परिसंपत्तियों की वाहक लागत के साथ किया जाता है। 01 अप्रैल, 2004 के बाद अनुबंधित लेन-देन के लिए इस बात पर ध्यान दिए बिना कि परियोजना निर्माणाधीन है या प्रचालनाधीन, इसे लाभ और हानि लेखे में प्रभारित कर दिया जाता है।

9.3 चालू परिसंपत्ति के मामले में एफईआरवी राजस्व माना जाता है।

10. राजस्व को मान्यता

प्रणाली प्रचालन (सिस्टम आपरेशन) और मार्केट प्रचालन प्रभार, जिसमें आरएलडीसी फीस और प्रभार शामिल होते हैं, को सीईआरसी द्वारा अनुमोदित प्रशुल्क (टैरिफ) के आधार पर मान्यता दी जाती है। प्रशुल्क (टैरिफ) के मानव संसाधन और प्रचालन तथा अनुरक्षण व्यय घटक वास्तविक व्यय तक सीमित कर दिए हैं। दर्शाई गई पूंजी व्यय के लिए प्रभार वास्तविक पूंजी व्यय पर आधारित प्रभार तक सीमित कर दिए जाते हैं।

प्रणाली प्रचालन और मार्केट प्रचालन प्रभारों में राजस्व से अधिक संकल्पन होने पर उसे देयता को स्थानान्तरित कर दिया जाता है जिसे नियंत्रण अवधि समाप्त होने पर सीईआरसी द्वारा कार्य पूरा होने पर समायोजित कर दिया जाता है।

10.1 अल्पकालिक ओपन एक्सेस (एसटीओए) से प्राप्त आय का लेखा-जोखा सीईआरसी द्वारा अधिसूचित विनियमों के आधार पर रखा जाता है। अल्पकालिक ओपन एक्सेस से प्राप्त अनुसूचीकरण प्रणाली प्रचालन प्रभार सीईआरसी, विद्युत विनियामक आयोग अंतर क्षेत्रिय पारेषण में ओपन एक्सेस विनियम, 2008 के अनुसार जमा किया जाता है जब द्विपक्षीय/सामूहिक लेन-देन होता है।

10.2 अल्पकालिक ओपन एक्सेस (एसटीओए) से प्राप्त वापस न किया जाने वाला आवेदन धन, फीस सहित आवेदन प्राप्त हो जाने पर आय माना जाता है।

10.3 अल्पकालिक ओपन एक्सेस (एसटीओए) से एसटीयू/ सीटीयू/ एसईबी/ एलटीओए को वितरण के लिए प्राप्त पारेषण प्रभार संबंधित एसटीयू/ सीटीयू/ एसईबी/ एलटीओए के दे दिया जाता है। तुलन पत्र पर दर्शाई गई अदा न की गई राशि को देयता के रूप में उल्लेख होता है।

10.4 पर्यवेक्षण प्रभार

स्काडा के वार्षिक रखरखाव अनुबंध के पर्यवेक्षण के कारण होने वाले ऊपरिव्यय प्रोद्भवन आधार पर लगाए जाते है।

10.5 पंजीकरण शुल्क

नए प्रयोगकर्ताओं से एक समय में प्राप्त पंजीकरण शुल्क और विद्युत विनिमय प्रोद्भवन आधार पर लगाया जाता है।

10.6 परिनिर्धारित नुकसानी/वारंटी दावा आपूर्तिकर्ता को अग्रिम पर ब्याज का निश्चित रूप से लेखा जोखा रखा जाता है।

10.7 यूआई पूल एकाउंट फंड में पड़े सावधि जमा पर अर्जित बैंक ब्याज, कंजेशन चार्ज एकाउंट, रिएक्टिव एनर्जी चार्जेज एकाउंट और इंटररीजनल एक्सचेंज एकाउंट सीधे ही संबंधित निधि खाते में जमा किए जाते हैं।

10.8 अधिभार उस स्थिति में जमा किया जा रहा है जब मापन और सामूहिकता के संबंध में महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान हो।

11. मूल्यह्रास

11.1 आरएलडीसी फीस और प्रभारों की वसूली के लिए सीईआरसी द्वारा अधिसूचित मानदंडों में निर्दिष्ट दरों और प्रणाली के अनुसार सीधे आधार पर मूल्यह्रास दिया गया है। 01/04/2009 से (सीईआरसी विनियम, 2009 की प्रभावी तारीख) सीईआरसी द्वारा निर्दिष्ट मूल्यह्रास की दर के आधार पर ऐसी परिसंपत्ति के अवितरित शेष के आधार पर भूतलक्षी प्रभाव से उपयोगी जीवन पर विचार किया गया है/निकाला गया है। मोबाइल फोनों पर 33.33 प्रतिशत से मूल्यह्रास हुआ है।

11.2 जहां मूल्यह्रासमान परिसंपत्ति की लागत में विनिमय दर में उतार-चढ़ाव, मूल्य समायोजन, समान कारकों की ड्यूटी में परिवर्तन के कारण दीर्घकालिक देयताओं में वृद्धि/कमी हुई है, वहां ऐसी परिसंपत्ति के अवितरित शेष का मूल्यह्रास शेष समय के लिए भूतलक्षी प्रभाव से निर्धारित किया जाता है।

11.3 जहां वर्ष के आरंभ में परिसंपत्ति लागत ₹5000 या कम हो या लिखित मूल्य ₹5000 से कम हो, वहां उसे राजस्व के रूप में प्रभारित किया जाता है।

12. व्यय

12.1 ₹100000 तक के पूर्व भुगतान किए गए/अवधि पूर्व मदें खातों के प्राकृतिक शीर्ष में जमा की जाती है।

12.2 पूंजी व्यय से भिन्न अनुसंधान और विकास संबंधी व्यय प्रोद्भवन के वर्ष में राजस्व में रखे जाते हैं।

13. परिसंपत्तियों की हानि

एएस-28 में परिसंपत्तियों की हानि के संबंध परिभाषित नकद उत्पादक इकाइयां तुलन पत्र तारीख पर वाहक राशि की तुलना में उसकी वसूली राशि और हानि, यदि कोई हो, के संबंध में परिभाषित की जाती है अभी उसे लाभ तथा हानि खाते में मान्यता दी जाती है। यदि हानि को विपरीत स्थिति में लाना हो तो उसे व्युत्क्रमण वर्ष में रखा जाता है।

14. कर्मचारी के लाभ

14.1 ग्रेच्युटी (उपदान) के संबंध में कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभ की देयता, जिसे वर्ष के अंत के प्रति वर्ष वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर अभिनिश्चित किया जाता है, अलग से दी जाती है।

14.2 कर्मचारियों की प्रतिपूरक अनुपस्थिति (अर्जित तथा अर्द्ध वेतन दोनों) छुट्टी के नकदीकरण, सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ ओर कर्मचारियों के भत्तों से संबंधित देयता प्रतिवर्ष वर्ष के अंत में अभिनिश्चित की जाती है और दी जाती है।

15. प्रावधान तथा आकस्मिक देयताएं

जब पूर्व कारणों से कंपनी की वर्तमान में देनदारी की जिम्मेदारी हो तो प्रावधान रखा जाता है और संभव है कि दायित्व को पूरा करने के लिए संसाधनों का प्रवाह आवश्यक होगा, जिसके संबंध में तकनीकी मूल्यांकन तथा विगत अनुभव के आधार पर एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। प्रावधानों को उनके वर्तमान मूल्य के अनुसार निर्धारित नहीं किया जाता और तथा उसका निर्धारण तुलनपत्र की तारीख को जिम्मेदारियों को निपटाने के लिए आवश्यक प्रबंधन अनुमान के आधार पर किया जाता है। ऐसी देयताओं के लिए कोई प्रावधान नहीं किया जाता है जिसके भावी परिणाम तर्कसंगत अनुमान के बिना अभिनिश्चित किए जा सकें। ऐसी आकस्मिक देयताओं को मान्यता नहीं दी जाती परंतु प्रबंधन/स्वतंत्र विशेषज्ञ के निर्णय के आधार पर आकस्मिक देयता की अनुसूची में उसका खुलासा किया जाता है। प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को इनकी समीक्षा की जाती है तथा चालू प्रबंधन अनुमान को प्रतिबिंबित करने के लिए इन्हें समायोजित किया जाता है।

16. आयकर

आयकर में चालू और विलम्बित कर शामिल होते हैं। चालू आय कर की गणना आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार आयकर अधिकारियों को दिए जाने वाली राशि पर की जाती है। विलम्बित आय कर वर्ष के लिए कर देय आय और लेखांकित आय के बीच अंतर के वर्तमान वर्ष के समय तथा पूर्व वर्ष के समय के अंतर के व्युत्क्रमण को प्रतिबिंबित करते हैं।

विलम्बित कर की गणना तुलनपत्र की तारीख को कर दरों तथा अधिनियमित कर कानूनों के आधार पर की जाती है। आस्थगित कर परिसंपत्तियां को केवल उसी सीमा तक मान्यता प्रदान की जाती है जिस सीमा तक यह तर्कसंगत ढंग से वास्तव में, जैसी भी स्थिति हो निश्चित हो जाए कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके लिए ऐसे आस्थगित कर वसूले जा सकेंगे। तुलन पत्र की प्रत्येक तारीख को कंपनी अमान्यताप्राप्त अस्थगित कर परिसंतियों का पुनः आकलन करती है। यह उस सीमा तक अमान्यताप्राप्त आस्थगित कर परिसंपतियों को मान्यता देती है कि यह उचित से निश्चित अथवा वास्तविक रूप से निश्चित, जैसा भी मामला होए हो गया है कि पर्याप्त भावी कर योग्य आय उपलब्ध होगी, जिसके विरूद्ध ऐसी विलम्बित कर परिसंपतियों वारल की जा सकती है।

17. प्रति शेयर आय

प्रति शेयर बुनियादी आय की गणना वर्ष में इक्विटी शेयर धारकों को हुए शुद्ध लाभ या हानि को वर्ष के दौरान शेष इक्विटी शेयरों की संख्या के भारित औसत से भाग देकर की जाती है। प्रति शेयर मिश्रित आय की गणना करने के प्रयोजन से वर्ष में इक्विटी शेयरधारकों को देय शुद्ध लाभ या हानि तथा वर्ष के दौरान शेष शेयरों की संख्या का भारित औसत सभी डाइलूटिव क्षमता वाले शेयरों के प्रभाव के लिए समायोजित किया जाता है।

18. नकद प्रवाह विवरण

अप्रत्यक्ष पद्धति का प्रयोग कर नकद प्रवाह की रिपोर्ट की जाती है जिसके द्वारा कर पूर्व लाभ का समायोजन गैर-नकद प्रकृति के इफेक्ट लेनदेन तथा किसी भी विगत या भविष्य के नकद प्राप्ति भुगतान के आस्थगन प्रोद्भवन के लिए किया जाता है।

19. अमूर्त परिसंपत्तियां

आंतरिक प्रयोग के लिए प्राप्त किए गए साफ्टवेयर की लागत (जो संबंधित हार्डवेयर का अभिन्न अंग नहीं है) जिसका भविष्य में अच्छा परिणाम हो सकता है, को लेखा बही में अमूर्त परिसंपत्ति माना जाता है जब वह प्रयोग के लिए तैयार हो जाए।

दिनांक 31 मार्च, 2011 की यथास्थिति तुलनपत्र

(₹ करोड़ में)

	अनुसूची संख्या	31 मार्च, 2011 की यथास्थिति		31 मार्च, 2010 की यथास्थिति
निधियों के स्रोत				
शेयरधारकों की निधि				
शेयर पूँजी	01	30.64		0.05
रिजर्व तथा अधिशेष	02	46.28		-
			76.92	0.05
विलम्बित राजस्व				
सहायता अनुदान	03		2.00	-
ऋण निधियां				
अनुरक्षित ऋण	04		89.35	-
जोड़			**168.27**	**0.05**
निधियों का प्रयोग				
अचल परिसंपत्तियां	05			
सकल ब्लॉक		276.78		-
घटाएं : मूल्यह्रास		225.64		-
नेट ब्लॉक		51.14		-
चालू रहा पूंजी कार्य	06	0.69		-
निर्माण भंडार	07	0.06		-
			51.89	-
चालू परिसंपत्तियां ऋण और अग्रिम				
विविध देनदार	08	90.02		-
नकद और बैंक जमा	09	994.57		0.05
अन्य चालू परिसंपत्तियां	10	11.90		-
ऋण और अग्रिम	11	46.49		-
		1142.98		0.05
घटाएं : चालू देयताएं तथा प्रावधान				
चालू देयताएं	12	971.12		1.28
प्रावधान	13	58.83		-
		1029.95		1.28
निवल चालू परिसंपत्तियां			113.03	(1.23)
आस्थगित कर परिसंपत्ति			3.35	-
लाभ और हानि लेखा			-	1.28
कुल			**168.27**	**0.05**
आकस्मिक देयताएं और लेखे पर टिप्पणियां	19			

अनुसूची 1 से 19 और लेखाकरण संबंधी नीतियां लेखा का अभिन्न भाग हैं

बोर्ड के लिए और उसकी ओर

(एस. के. सोनी)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

(आर. टी. अग्रवाल)
निदेशक

(एस. के. चतुर्वेदी)
अध्यक्ष

समसंख्यक तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते अरूण सिंह एंड कंपनी
फर्म पंजीकरण संख्या 011863एन

(रवि कपूर)
साझेदार
सदस्यता सं0 095214

स्थान : गुड़गांव
दिनांक : 16.05.2011

31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा

(₹ करोड़ में)

	अनुसूची संख्या	31 मार्च, 2011 के अनुसार	31 मार्च, 2010 के अनुसार
आय			
प्रचालनों से राजस्व	14	97.31	-
अन्य आय	15	18.40	-
कुल आय		**115.71**	-
व्यय			
कर्मचारियों को पारिश्रमिक और लाभ	16	36.55	-
प्रचालन, अनुरक्षण तथा अन्य प्रशासनिक व्यय	17	20.51	1.28
मूल्यह्रास	05	30.92	-
ब्याज तथा वित्त प्रभार	18	1.32	-
कुल		**89.30**	**1.28**
कर पूर्व लाभ		**26.41**	**(1.28)**
घटाएं : कराधान के लिए प्रावधान		18.55	-
चालू कर के बाद लाभ		**7.86**	**(1.28)**
जोड़े : आस्थगित कर के लिए प्रावधान		3.35	-
कर पश्चात लाभ		**11.21**	**(1.28)**
जोड़े : आगे ले जाया गया लाभ/हानि शेष		(1.28)	-
विनियोजन के लिए उपलब्ध कुल राशि		**9.93**	**(1.28)**
विनियोजन			
प्रस्तावित लाभांश		3.06	-
निगम लाभांश कर के लिए प्रावधान		0.50	-
एलडीसी विकास निधि को अंतरण (लेखा संबंधी टिप्पणियों की अनुसूची 19 का पैरा संख्या 5 देखें)		6.37	-
तुलन पत्र में ले जाया गया लाभ हानि शेष		-	(1.28)
		9.93	**(1.28)**
प्रति शेयर अर्जन - मूल और कम किया गया (प्रति शेयर ₹ में)		**7.33**	**(256.04)**
प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹10/-			
आकस्मिक देयताएं तथा लेखा संबंधी टिप्पणियां	19		

अनुसूची 1 से 19 तथा लेखांकन संबंधी नीतियां लेखाओं का अभिन्न अंग है।

बोर्ड के लिए और उसकी ओर

(एस. के. सोनी)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

(आर. टी. अग्रवाल)
निदेशक

(एस. के. चतुर्वेदी)
अध्यक्ष

समसंख्यक तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते अरूण सिंह एंड कंपनी
फर्म पंजीकरण संख्या 011863एन

(रवि कपूर)
साझेदार
सदस्यता सं0 095214

स्थान : गुड़गांव
दिनांक : 16.05.2011

अनुसूची 01 - शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2011 की यथास्थिति	31 मार्च, 2010 की यथास्थिति
प्राधिकृत		
20,00,00,000 (पूर्व वर्ष 20,00,00,000) ₹10/- का प्रत्येक इक्विटी शेयर	200.00	200.00
जारी, अभिदत और चुकता		
3,06,40,000 इक्विटी शेयर (पूर्व वर्ष 50,000) पूर्णतः संदत्त ₹10 का प्रत्येक	30.64	0.05
उपर्युक्त का		
3,05,90,000 (पूर्व वर्ष शून्य) नकद रूप में प्राप्त करने पर विचार किए बिना परिसंपत्तियों की बिक्री के करार के अनुसरण में ₹10 का इक्विटी शेयर पूर्णतः संदत्त शेयर के रूप में आबंटित किया गया है।		
3,06,40,000 (पूर्व वर्ष 50,000) इक्विटी शेयर पावरग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड होल्डिंग कंपनी और इसके नामिती द्वारा धारित किए जाते हैं।		
जोड़	**30.64**	0.05

अनुसूची 2 - रिजर्व तथा अधिशेष

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 अप्रैल, 2010 की यथास्थिति	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान कमी/समायोजन	31 मार्च, 2011 की यथास्थिति
एल डी सी विकास निधि	-	46.28	-	46.28
	-	**46.28**	-	46.28
कुल	-			46.28

अनुसूची 3 - सहायता अनुदान (विलम्बित राजस्व)

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 अप्रैल, 2010 की यथास्थिति	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान कमी/समायोजन	31 मार्च, 2011 की यथास्थिति
सहायता अनुदान	-	5.06	3.06	2.00
	-	5.06	3.06	2.00

अनुसूची 4 - अरक्षित ऋण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2011 की यथास्थिति	31 मार्च, 2010 की यथास्थिति
पावरग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, होल्डिंग कंपनी से अंतरित परिसंपत्तियों के संबंध में ले जाई गई ऋण देयता के कारण ऋण	40.31	-
पावरग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, होल्डिंग कंपनी से अन्य ऋण	49.04	-
जोड़	89.35	-
एक वर्ष के भीतर वापसी उदायगी जाने के लिए	89.35	-

अनुसूची 5 - अचल परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	दिनांक 1 अक्तूबर, 2010 की यथास्थिति पावरग्रिड से अधिग्रहित परिसंपतियों की वृद्धि	वर्ष के दौरान अन्य वृद्धि	वर्ष के दौरान समायोजन	31 मार्च, 2011 तक की यथास्थिति	पावरग्रिड से ली गई परिसंपत्तियों का संचित मूल्यह्रास 01 अक्तूबर, 2010 तक	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान समायोजन	31 मार्च, 2011 की यथास्थिति	31 मार्च, 2010 की यथास्थिति
सिविल कार्य									
क) आरएलडीसी	9.87	-	-	9.87	1.40	0.17	-	1.57	8.30
ख) टाऊनशिप	0.05	-	-	0.05	0.01	-	-	0.01	0.04
अस्थायी परिनिर्माण	0.10	0.01	-	0.11	0.09	-	-	0.09	0.02
जलापूर्ति, जल निकासी और सीवरेज	0.03	-	-	0.03	-	-	-	-	0.03
संयंत्र और मशीनरी									
क) आरएलडीसी	2.36	0.14	-	2.50	0.61	0.06	-	0.67	1.83
ख) यूएलडीसी	242.90	4.47	-	247.37	185.93	29.91	-	215.84	31.53
ग) संचार	0.50	0.02	-	0.52	0.16	0.01	-	0.17	0.35
निर्माण और कर्मशाला उपस्कर	0.01	-	-	0.01	0.01	-	-	0.01	-
विद्युत स्थापन	0.07	-	-	0.07	0.03	-	-	0.03	0.04
वाहन	0.01	-	-	0.01		-	-	-	0.01
फर्नीचर फिक्सचर और कार्यालय उपस्कर	8.78	0.66	0.05	9.39	2.93	0.34	0.01	3.26	6.13
ईडीपी/ डब्ल्यू पी/ मशीन	5.69	0.89	0.09	6.49	3.45	0.40	0.02	3.83	2.66
अर्मूत परिसंपत्तियां	0.22	0.03	-	0.25	0.04	0.03	-	0.07	0.18
विविध परिसंपत्तियां/ उपस्कर	0.11	-	-	0.11	0.09	-	-	0.09	0.02
जोड़	**270.70**	**6.22**	**0.14**	**276.78**	**194.75**	**30.92**	**0.03**	**225.64**	**51.14**
पूर्व वर्ष	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए
मूल्यह्रास (वर्ष के दौरान वृद्धि)	**30.92**

अनुसूची 6 चल रहा चालू पूंजीगत कार्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 अप्रैल, 2010 की यथास्थिति	वर्ष के दौरान वृद्धि	समायोजन	वर्ष के दौरान पूंजी में परिणत	31 मार्च, 2011 की यथास्थिति
सिविल कार्य					
रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर और आफिस (सिविल कार्य रहित)	-	0.19	-	-	0.19
संयंत्र और मशीनरी (संबद्ध सिविल कार्य सहित)					
यूएलडीसी	-	0.48	-	-	0.48
निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय	-	0.02	-	-	0.02
जोड़	-	0.69	-	-	0.69

अनुसूची 07 - निर्माण भंडार

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2011 की यथास्थिति	31 मार्च, 2010 की यथास्थिति
निर्माण भंडार (मार्गस्थ/ ठेकेदार के पास पड़े ₹0.06 करोड़ के मामले सहित)	0.06	-
	0.06	-

अनुसूची 08 - विविध देनदार

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2011 की यथास्थिति	31 मार्च, 2010 की यथास्थिति
छह माह से अधिक समय से बकाया ऋण		
अच्छा माना गया		
संदेहास्पद माना गया	-	-
	-	-
संदेहास्पद माना गया		
अन्य ऋण		
	90.02	-
जोड़	90.02	-

देनदार अरक्षित हैं शून्य ₹ की सीमा को छोड़कर (पूर्व वर्ष शून्य) जिसमें पावरग्रिड कारपोरेशन लिमिटेड जो उसी प्रबंधन के अंतर्गत एक कंपनी हैं से ₹3.60 करोड़ की राशि बकाया है। वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया राशि ₹7.86 करोड़।

अनुसूची 09 - नकद और बैंक शेष

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2011 की यथास्थिति	31 मार्च, 2010 की यथास्थिति
नकद, स्टैम्प और पेशगी	0.01	-
अनुसूचित बैंकों के पास शेष -		
- चालू खाते में/ फ्लेक्सी डिपाजिट खाते में	8.40	0.05
- निर्दिष्ट चालू खाते में/ प्रचालित और अनुरक्षित फ्लेक्सी डिपाजिट खाते में सीईआरसी विनियम की दृष्टि से (लेखा संबंधी टिप्पणियों की अनुसूची 19 का पैरा संख्या 4 देखें)	944.84	-
- एलडीसी विकास खाते में	41.32	-
कुल	**994.57**	**0.05**

अनुसूची 10 - अन्य चालू परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2011 की यथास्थिति	31 मार्च, 2010 की यथास्थिति
फ्लेक्सी जमा पर प्राप्त ब्याज	11.90	
	11.90	-

अनुसूची 11 - ऋण और अग्रिम

(₹ करोड़ में)

विवरण		31 मार्च, 2011 की यथास्थिति	31 मार्च, 2010 की यथास्थिति
क) ऋण			
- कर्मचारियों को (कर्मचारियों के ऋण पर ₹3.06 करोड़ शामिल (गत वर्ष शून्य)		7.40	-
ख) अग्रिम			
नकद या वस्तु के रूप में वसूला जाने वाला अग्रिम			
ठेकेदार और आपूर्तिकर्ता	1.14		-
कर्मचारी	3.18		-
अन्य	15.68		-
	20.00		-
घटाएं : अशोध्य और संदेहास्पद अग्रिम तथा दावों का प्रावधान	0.05		-
	19.95		-
विभिन्न प्राधिकरणों के पास जमा	0.14		-
अग्रिम कर और टीडीएस	19.00		-
		39.09	-
जोड़		**46.49**	-
ऋण और अग्रिम के ब्यौरे			
सुरक्षित		3.88	-
अरक्षित (अच्छा माना गया)		42.61	-
संदेहास्पद माना गया		0.05	-
		46.54	-
घटाएं : अशोध्य और संदेहास्पद दावे		0.05	-
कुल		**46.49**	-
कंपनी के निदेशकों और अधिकारियों द्वारा देय			
निदेशक		-	-
अधिकारी		1.39	-
निदेशकों की अधिकतम राशि		-	-
अधिकारियों की अधिकतम राशि		1.68	-

अनुसूची 12 - चालू देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण		31 मार्च, 2011 0	31 मार्च, 2010 की यथास्थिति
विविध देनदार			
अन्य माल और सेवाएं	3.40		1.28
		3.40	
ग्राहकों से अग्रिम		7.80	-
ट्रूइंग अप के कारण देयताएं (कृपया खाता संबंधी टिप्पणियों की अनुसूची 19 का पैरा संख्या 11 देखें)		6.51	-
ठेकेदारों तथा अन्य से जमा धारण धनराशि		8.09	-
		22.40	-
सीईआरसी विनियम के अनुसार प्रचालित और अनुरक्षित निर्दिष्ट खातों के संबंध में देयताएं (कृपया लेखा संबंधी टिप्पणियों की अनुसूची 19 का पैरा संख्या 4 देखें)		945.32	-
जोड़		**971.12**	**1.28**

अनुसूची 13 - प्रावधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2011 की यथास्थिति	31 मार्च, 2010 की यथास्थिति
कराधान (कर पर ब्याज सहित)		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	-	-
वर्ष के दौरान वृद्धि	18.55	-
वर्ष के दौरान समायोजित राशि	-	-
	18.55	-
कर्मचारी लाभ		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	-	-
वर्ष के दौरान वृद्धि	24.88	-
वर्ष के दौरान प्रयुक्त/ समायोजित राशि	-	-
	24.88	-
विशेष प्रोत्साहन तथा पी आर पी		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	-	-
वर्ष के दौरान वृद्धि	8.76	-
वर्ष के दौरान भुगतान की गई/ समायोजित राशि	-	-
	8.76	-
सेवानिवृत्ति लाभ/ वेतन में संशोधन के लिए प्रावधान		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	-	-
वर्ष के दौरान वृद्धि	3.08	-
वर्ष के दौरान प्रयुक्त/ भुगतान की गई राशि	-	-
	3.08	-
प्रस्तावित अंतिम लाभांश		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	-	-
वर्ष के दौरान वृद्धि	3.06	-
वर्ष के दौरान भुगतान की गई राशि	-	-
	3.06	-
लाभांश कर		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	-	-
वर्ष के दौरान वृद्धि	0.50	-
वर्ष के दौरान भुगतान की गई राशि	-	-
	0.50	-
जोड़	**58.83**	-

अनुसूची 14 - प्रचालनों से प्राप्त राजस्व

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रणाली और बाजार प्रचालन से राजस्व	87.58	-
अल्पावधिक मुक्त पहुँच - अन्य प्रभार	9.73	-
	97.31	-

अनुसूची 15 - अन्य आय

(₹ करोड़ में)

विवरण		31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए
ब्याज			
भारतीय बैंकों से	4.70		-
अन्य से	0.16		-
		4.86	-
पर्यवेक्षण शुल्क		1.39	-
आस्थगित आय (सहायता अनुदान से अंतरित)		3.06	-
एफईआरवीप्राप्ति		0.01	-
पंजीकरण तथा एसटीओए आवेदन शुल्क		8.48	-
अन्य विविध आय		0.60	-
जोड़		**18.40**	-

अनुसूची 16 - कर्मचारियों के पारिश्रमिक और लाभ

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए
वेतन, पारिश्रमिक, भत्ते और लाभ	28.11	-
भविष्य निधि तथा अन्य निधियों में अंशदान	4.53	-
कल्याण संबंधी व्यय	3.91	-
	36.55	-

अनुसूची 17 - प्रचालन, अनुरक्षण और अन्य प्रशासनिक व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण		31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए
मरम्मत और अनुरक्षण			
- भवन		0.21	-
- आरएलडीसी	9.99		-
- अन्य	1.09		-
		11.08	-
विद्युत प्रभार		1.08	-
डीज़ल जनरेटिंग सेट के व्यय		0.02	-
जल प्रभार		0.16	-
प्रशिक्षण और भर्ती व्यय		0.42	-
विधिक प्रभार		0.05	-
व्यावसायिक प्रभार		0.12	-
परामर्शी व्यय		0.01	-
संचार व्यय		0.41	-
यात्रा और वाहन व्यय	1.39		-
विदेश यात्रा	0.10		-
		1.49	-
लेखापरीक्षकों को पारिश्रमिक (सेवा कर सहित)			
लेखापरीक्षा शुल्क	0.07		-
कर लेखापरीक्षा शुल्क	0.02		-
भोजन, आवास तथा यात्रा व्यय	0.05		-
		0.14	-
मुद्रण तथा लेखन सामग्री		0.09	-
पुस्तकें, आवधिक पत्रिकाएं तथा जर्नल		0.03	-
ईडीपी किराया तथा अन्य प्रभार		0.19	-
मनोरंजन व्यय		0.06	-
दलाली तथा कमीशन		0.01	-
अचल परिसंपत्तियों की बिक्री/बट्टे खाते डालने पर हुई हानि		0.01	-
सुरक्षा व्यय		1.00	-
वाहन किराए पर लेना		0.25	-
महसूल और कर		0.06	-
बैंडविड्थ प्रभार, डार्क फाइबर लीज़ प्रभार (टेलीकॉम) आदि		2.84	-
प्रारंभिक व्यय		-	1.28
विविध व्यय		0.78	-
जोड़		**20.51**	**1.28**

अनुसूची 18 - ब्याज और वित्तीय प्रभार

(₹ करोड़ में)

विवरण		31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए
धारक कंपनी से ऋण पर ब्याज		0.97	-
एफईआरवी बट्टे खाते डाला गया		0.09	-
वित्तीय प्रभार			
ग्राहकों को छूट	0.08		-
गारंटी फीस	0.18		-
		0.26	-
जोड़		1.32	-

अनुसूची 19 : लेखे पर टिप्पणियां

1) **प्रचालनों की प्रकृति**

भारत सरकार के उद्यम पावरग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व में कंपनी की शुरूआत 20 मार्च, 2009 को हुई थी ताकि धारक कंपनी द्वारा चलाए जा रहे सिस्टम ऑपरेशन और मार्केट आपरेशन के बिजनेस को हाथ में लिया जा सके।

2) क) विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश के अनुसार आरएलडीसी (सिस्टम आपरेशन सेगमेंट) की परिसंपत्तियां 1.10.2010 से धारक कंपनी पावरग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड से खरीद आधार पर कंपनी को अंतरित की गई हैं। परिसंपत्तियां बेचने की दृष्टि से खरीददारी संबंधी विचार तैयार किए गए है तथा नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार तय किए गए हैं :

चल परिसंपत्तियों का ह्रासमान मूल्य (नेट बचत)		: ₹75.95 करोड़
सी डब्ल्यू पी और निर्माण स्टोर तथा अग्रिम		: ₹00.60 करोड़
निवल चालू परिसंपत्तियां		: ₹25.13 करोड़
कुल		: **₹101.68 करोड़**
घटाएं : सहायता अनुदान	: ₹5.06 करोड़	
एल डी सी विकास निधि	: ₹25.72 करोड़	
ऋण लेना	: ₹40.31 करोड़	: ₹71.09 करोड़
शुद्ध देय राशि		: **₹30.59 करोड़**

ख) कंपनी ने खरीददारी पर विचार करने के लिए पावरग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड के पक्ष में ₹30.59 करोड़ के ₹10/- के अंकित मूल्य के पूर्णतः देय इक्विटी शेयर आबंटित किए थे। विगत में पावरग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड के क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र (एनआरएलडीसी, डब्ल्यूआरएलडीसी, ईआरएलडीसी) और एनएलडीसी 01 अक्तूबर, 2010 को नेट बुक मूल्य पर कंपनी द्वारा खरीद लिए गए हैं। 1.10.2011 को परिसंपत्तियों का सकल मूल्य ₹270.70 करोड़ तथा 1.10.2010 को संचित मूल्यह्रास क्रमशः ₹194.75 करोड़ अनुसूचीय अचल संपत्तियों में ले जाए गए आदि शेष दर्शाए गए हैं।

ग) लाभग्राहियों से देनदारियों के लंबित रहने पर कार्यशील पूंजी जरूरत धारक कंपनी से ऋण लेकर पूरी की जाती है और इसे पावरग्रिड से ₹49.04 करोड़ के ऋण तथा (जिसमें निवल ब्याज ₹0.27 करोड़ या निवल टीडीएस ₹0.06 करोड़ शामिल है) दर्शाया गया है। ब्याज के कारण व्यय, एफ ई आर वी, कर्मचारी लाभ उपर्युक्त ₹49.04 करोड़ मे समायोजित किए गए हैं।

घ) समझौता ज्ञापन के अनुसार, पोसोको को अचल परिसंपत्तियां बेचे जाने के बाद, आर एल डी सी और एनएलडीसी द्वारा धारक कंपनी के नाम पर 01 अक्तूबर, 2010 को या उसके बाद किए गए सभी लेन-देन पोसोको की ओर से किए गए माने जाएंगे।

3) पारेषण व्यापार के लिए लागू समझौता ज्ञापन के अनुसार (जैसा कि धारक कंपनी के मामले में लागू होता है) 31.03.2009 तक आस्थगित ₹19.62 करोड़ (अनंतिम आधार पर टैक्स देयता जो आयकर के अनुसार बुक्स और डब्ल्यूडीवी के बीच अंतर है, ठोस रूप लेने पर लाभग्राहियों से वसूला जा सकता है। तथापि, आर एल डी सी फीस और प्रभारों के मामले में लागू सीईआरसी विनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है)। ₹7.72 करोड़ की आस्थगित कर देयता, जो वर्ष के दौरान ठोस रूप ले चुकी है, को सीईआरसी वसूलने योग्य राशि के रूप में नहीं दर्शाया गया है। मैटेरियलाइज हो चुकी आस्थगित कर देयता (डीटीएल) प्राप्त करने के लिए सीईआरसी को याचिका प्रस्तुत की जाएगी। इस बात पर विचार करते हुए कि आस्थगित कर देयता (डीटीएल) के लिए याचिका शेष डी टी एल के निपटान होने के समय तक स्वीकृत हो जाएगी, इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

4) यूआई पूल एकाउंट फंड कंजेशन चार्जेज एकाउंट, रिएक्टिव एनर्जी चार्जेज एकाउंट (आर ई) इंटररीजनल एक्सचेंज एकाउंट (आरई) तथा एसटीओए कलेक्शन एकाउंट।

सीईआरसी ने निम्नलिखित विनियमों के द्वारा प्रत्येक क्षेत्र के क्षेत्रीय भार प्रेषण केंद्रों को यूआई पूल एकाउंट फंड, कंजेशन चार्ज एकाउंट, रिएक्टिव एनर्जी चार्ज एकाउंट को प्रचालित और अनुरक्षित करने के निदेश दिए हैं।

यूआई चार्ज के कारण होने वाले सभी भुगतान जिसमें वसूल किए जाने वाले एडीशनल यूआई चार्ज तथा देरी के कारण प्राप्त किए जाने वाले ब्याज ''रीजनल यूआई पूल एकाउंट फंड'' में जमा किए जाते हैं जिन्हें सीईआरसी (यूआई चार्जेस एंड रिलेटेड मैटर्स) विनियमन, 2009 के अनुसार क्षेत्रीय लोड डिस्पैच केंद्रों द्वारा अनुरक्षित और प्रचालित किया जाता है।

कंजेशन चार्ज के कारण सभी भुगतान और देरी के कारण प्राप्त किए जाने वाले ब्याज ''कंजेशन चार्ज एकाउंट में जमा किए जाते है जिन्हें सीईआरसी (मैजर्स टू रिलिव कंजेशन इन रियल टाइम आपरेशन) रेग्यूलेन 2000 के अनुसार क्षेत्रीय भार प्रेषण केंद्रों द्वारा अनुरक्षित और प्रचालित किया जाता है। रिएक्टिव एनर्जी पूल एकाउंट के कारण सभी भुगतान रिएक्टिव एनर्जी एकाउंट नामक निधियों में जमा किए जाते हैं जिन्हें सीईआरसी के प्रावधानों के अनुसार क्षेत्रीय भार प्रेषण केंद्रों द्वारा अनुरक्षित और प्रचालित किया जाता है।

इन निधियों के बराबर निधियां निर्दिष्ट बैंकों के चालू और सावधि जमा खातों से जमा की जाएंगी और इन दोनों के बीच का अंतर जो ब्याज पर टी डी एस काटने के कारण रहेगा, को ब्याज और टीडीएस प्रमाणपत्र प्राप्त करने पर दिया जाएगा।

31.03.2011 के इन निर्दिष्ट बैंक खातों में कुल शेष ₹944.84 करोड़ थे जबकि इन निधियों में देनदारी ₹954.32 करोड़ की थी। देनदारी और निर्दिष्ट बैंकों के खातों में ₹0.48 करोड़ का अंतर प्राप्त ब्याज पर टी डी एस के कारण था जो समाधान या समायोजन के अध्यधीन था।

5) एलडीसी विकास निधि

मूल्यह्रास, ऋण पर ब्याज, इक्विटी प्रतिफल के रूप में ₹35.26 करोड़ तथा अन्य आय के रूप में ₹23.66 करोड़ जो एसटीओए में शामिल है, के कारण वर्ष के दौरान प्राप्त राजस्व सीईआरसी विनियम के अनुसार एलडीसी विकास निधि में जमा किया जाना है। इस निधि का उपयोग ₹30.52 करोड़ ऋण/ब्याज ₹15.20 करोड़ के आयकर ₹3.06 करोड़ लाभांश तथा ₹0.50 करोड़ लाभांश कर इस प्रकार कुल ₹9.64 करोड़ निधि में जमा करने के लिए किया जाएगा।

निधियों का अंतरण ₹6.37 करोड़ तक सीमित कर दिया गया है जो भिन्न-भिन्न कर देनदारियों तथा ओ एंड एम की वसूली और एच आर व्यय के तहत और विभिन्न कर देयताओं को मूर्त रूप देने के उच्च कर देयता के कारण विनियोजन के लिए उपलब्ध लाभ के संबंध में है। शेष ₹3.27 करोड़ लाभग्राहियों से आस्थगित कर देनदारी वसूल होने (टिप्पणियों का पैरा 3 देखें) या सीईआरसी द्वारा दी गई अनुमति के आधार पर ओएंडएम तथा मानव संसाधन व्यय की वसूली, जो भी पहले हो, जमा किया जाएगा।

निर्दिष्ट बैंक में एलडीसी निधि के ₹46.28 करोड़ के स्थान पर ₹41.32 करोड़ जमा हैं। वर्ष के दौरान निधि खाते में ₹1.41 करोड़ का अंशदान किया गया है जिससे ₹4.96 करोड़ जमा हो गए हैं। इसे देनदारियों के वसूल हो जाने पर जमा किया जाएगा।

आयकर के लिए सांविधिक देनदारियों के भुगतान, इसकी प्रणाली तथा फीस और प्रभारों की कम वसूली संबंधी उपयोग मुद्रा सीईआरसी के समक्ष उठाया जाएगा तथा वास्तविक रूप से निश्चित हो जाने पर आवश्यक समायोजन किया जाएगा।

6) आरएलडीसी के लिए सीईआरसी (क्षेत्रीय भार प्रेषण केंद्रों की फीस और प्रभार तथा अन्य संबद्ध मुद्दे) के विनियम, 2009 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा (28) के तहत धारा (4) के अंतर्गत अनुमोदन देते समय नोट किया है कि वर्तमान में सिस्टम आपरेशन सेवा कर के अधीन नहीं है।

7) समाधान लंबित रहने पर ₹0.06 करोड़ की सामग्री (पूर्व वर्ष शून्य) (निर्माण स्टोर) में शामिल अनुसूची 7)

ऐसे निर्माण स्टोर के रूप में दर्शाया गया है जो ठेकेदारों के पास पड़ा हो।

8) क) ऋणों और अग्रिमों के शेष, प्राप्य वसूलनीय टीडीएस प्रमाणपत्र, ग्राहकों से एसटीओए, अग्रिम ठेकेदारों के पास सामग्री, ग्राहकों और विविध देनदारों से अग्रिम, समाधान (टीडीएस और एसटीओए अग्रिमों के मामले में) और पुष्टि तथा परिणामी समायोजन, यदि कोई हो, के अध्यधीन है।

ख) प्रबंधन की राय में, चालू परिसंपत्ति साधारण व्यापार में वसूली हो जाने पर ऋण और अग्रिम का मूल्य, उस मूल्य से कम नहीं होगा जिस पर ये तुलनपत्र में दर्शाए गए हैं।

9) आयकर 1961 के प्रावधानों के अनुसार कर्मचारियों की स्रोत पर कटौती के कारण ₹2.59 करोड़ (पूर्व वर्ष में शून्य) देयता शामिल थी जिसे धारक कंपनी ने माननीय कोलकाता उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार अलग बैंक के खाते में जमा किया।

10) कंपनी ने सीईआरसी के मानदंडों के आधार पर मूल्यह्रास का प्रावधान किया है जो 2009-14 की ब्लॉक अवधि के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी की गई प्रशुल्क (टैरिफ) नीति के अनुरूप है जिसमें कहा गय है कि सीईआरसी द्वारा अधिसूचित मूल्यह्रास की दरें प्रशुल्क तथा लेखाकरण के प्रयोजनार्थ लागू होंगी।

कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची-XIV में दी गई दरों की तुलना में वर्ष का मूल्यह्रास अधिक ₹22.42 करोड़ है (पूर्ववर्ती वर्ष में शून्य)।

11) सिस्टम आपरेशन और मार्केट आपरेशन प्रभारों की ₹6.5 करोड़ की अतिरिक्त वसूली देयता के मद में अंतरित की जाती है जो नियंत्रण अवधि समाप्त होने पर सीईआरसी द्वारा समायोजित की जाती है।

समाहित किए जाने से पूर्व ₹127.09 लाख का व्यय (पूर्व वर्ष में शून्य), सीईआरसी द्वारा टैरिफ आदेश अनुमोदित कर दिए जाने पर वर्ष का आय माना गया है, हालांकि लाभग्राहियों को बिल देना अभी बाकी है।

12) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद के लाभ के लिए ₹3.08 करोड़ का प्रावधान किया गया है जो डीपीई दिशानिर्देशों के तहत अनुमत्य शेष राशि है जिसके लिए योजना को अंतिम रूप दिया जाना है।

13) ₹0.01 करोड़ के एफईआरवी हानि को 01 अप्रैल, 2004 के बाद दिए गए ऋणों के लाभ और हानि खातों में स्वीकार किया गया है।

₹0.13 करोड़ का एफईआरवी लाभ का समायोजन अचल परिसंपत्तियों की लागत में समायोजित कर दिया गया है।

14) कंपनी की लेखाकरण नीति 4.1 और 4.2 के अनुसार अन्य आय में एनईआरएलडीसी के संबंध में प्राप्त सहायता अनुदान से अंतरित ₹3.06 करोड़ की राशि शामिल है।

15) कंपनी एएस-15 (संशोधित 2005) ''कर्मचारी लाभ'' का अनुगमन कर रही है।

इस संबंध के अधीन सूचनाएं पोसोको के कर्मचारियों को शामिल कर पावरग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया के कर्मचारियों के वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर अनुमान लगाकर प्रदान की गई है।

क) पोसोको के सभी कर्मचारी इसकी धारक कंपनी पावरग्रिड आफ इंडिया लिमिटेड से सेकेंडमेंट आधार पर लिए गए हैं। उपर्युक्त कर्मचारी अपने वेतन भत्ते और अन्य सुविधाएं उसी प्रकार प्राप्त करते रहेंगे जैसे वे पावरग्रिड में प्राप्त कर रहे थे और उन पर वे सभी नियम और नीतियां लागू होंगी जो पोसोको में स्थानांतरण से पूर्व उन पर पावरग्रिड में लागू होती थी। प्रोत्साहन के मामले में ऐसा नहीं होगा जिसकी पूर्ति विशेष उस दर पर भत्ते के माध्यम से की जाएगी जिस दर पर पावरग्रिड की सेवा में रहने पर उन्हें मिलता।

ख) छुट्टी के नकदीकरण, सेवानिवृत्ति के बाद की चिकित्सा योजना, साज-समान भत्ता, उपदान और अधिवर्षिता देयता के कारण देयता पावरग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया की कुल बीमांकिक देयता के आबंटन पर आधारित है जिसमें 3.3.2011 तक की स्थिति के अनुसार कंपनी से सेकेंडमेंट आधार पर लिए गए कर्मचारी भी शामिल हैं जिसमें से 30.09.2010 तक की देयता कम कर दी गई है।

ग) पीआरपी के कारण देयता पावरग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया की कुल देयता पर आधारित है जिसमें 31.3.2011 तक की स्थिति के अनुसार लिए गए पोसोको के कर्मचारी भी शामिल हैं जिसमें से 30.09.2011 तक की देयता कम कर दी गई है। परिभाषित कर्मचारी लाभ स्कीमें इस प्रकार हैं :

क. भविष्य निधि

कंपनी पूर्व निर्धारित दर पर एक अलग न्यास को भविष्य निधि के लिए अंशदान करती है। इस न्यास का प्रबंधन पावरग्रिड कर्मचारी भविष्य निधि न्यास के नाम से होल्डिंग कंपनी करती है जो निधियों को अनुमत्य प्रतिभूतियों में निवेश करती है। इस अवधि के लिए निधियों के अंशदान को व्यय माना जाता है तथा इसे लाभ और हानि खाते से प्रभारित किया जाता है। कंपनी की जिम्मेदारियां ऐसे स्थिर अंशदान तक सीमित हैं। तथापि, न्यास के लिए सदस्यों को अंशदान पर भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट न्यूनतम दर पर ब्याज देना आवश्यक है। भविष्य निधि की परिसंपत्तियां तथा उन पर प्राप्त प्रतिफल तुलनपत्र की तारीख को परिभाषित अंशदान के दायित्वों से अधिक है।

ख. ग्रैच्युटी (उपदान)

कंपनी की एक परिभाषित लाभ उपदान योजना है जिसके लिए पृथक न्यास है जिसे पावरग्रिड कर्मचारी उपदान निधि न्यास के नाम पर होल्डिंग कंपनी चलाती है। 5 वर्ष या इससे अधिक लगातार सेवा करने वाला प्रत्येक कर्मचारी अधिवर्षिता, त्यागपत्र, मुअत्तली, अपंगता या मृत्यु होने पर पूरी की गई प्रत्येक वर्ष की सेवा के लिए 15 दिन का वेतन (15 × 26 × अंतिम प्राप्त वेतन, महंगाई भत्ता) प्राप्त करने का हकदार है जो अधिक से अधिक ₹10 लाख होगा। इस स्कीम के लिए कंपनी धन प्रदान करती है।। इसके लिए देयता वार्षिक तौर पर बीमांकिक मूल्यांकन आधार पर स्वीकार की जाती है।

ग. सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा सुविधा (पीआरएमएफ)

कंपनी की सेवानिवृत्ति के बाद की चिकित्सा सुविधा (पीआरएमएफ) है जिसके तहत सेवानिवृत्ति कर्मचारी और पति/पत्नी की पैनलबद्ध अस्पतालों में चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है। वे लोग कंपनी द्वारा तय की गई सीमा के भीतर बहिरंग रोगी के रूप में भी इलाज कर सकते हैं। यह स्कीम अनफंडेड स्कीम है तथा इसे वार्षिक तौर पर बीमांकिक मूल्यांकन आधार पर लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है।

घ. अन्य परिभाषित सेवानिवृत्ति लाभ (ओडीआरबी)

कंपनी की एक योजना के तहत इसके सेवानिवृत्त होने पर कर्मचारियों और उनके आश्रितों को गृह नगर पर अंतिम निपटान किया जाता है। यह योजना अनफंडेड है तथा इसे वार्षिक तौर पर बीमांकिक मूल्यांकन आधार पर लाभ और हानि खाते में मान्यता प्रदान की जाती है।

ङ अन्य कर्मचारी लाभ

31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए छुट्टी के नकदीकरण के लिए ₹1.66 करोड़ (पूर्व वर्ष में शून्य) का प्रावधान रखा गया है जो धारक कंपनी पावरग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया से कंपनी में सेकेंडमेंट आधार पर स्थानांतरित कर्मचारियों के लिए वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन आधार पर है।

लाभ और हानि खाता, तुलनपत्र और दी गई स्थिति में मान्यताप्राप्त विभिन्न परिभाषित लाभों की संक्षिप्त स्थिति इस प्रकार है :

क) लाभ और हानि खाते में मान्यताप्राप्त व्यय

(₹ करोड़ में)

	उपदान	पीआरएमएफ	ओडीआरबी
	चालू वर्ष	चालू वर्ष	चालू वर्ष
चालू सेवा लागत	0.47	0.22	0.01
लाभ दायित्व पर ब्याज लागत	0.58	0.31	0.02
योजनागत परिसंपत्तियों पर अनुमानित प्रतिफल	-0.61	-	-
वर्ष में मान्य बीमांकिक (लाभ)/हानि	2.28	1.58	-
लाभ और हानि खाते में मान्य व्यय	2.72	2.04	0.03

ख) तुलन पत्र में मान्य राशि

(₹ करोड़ में)

	गैच्युटी	पी आर एम एफ	ओ डी आर बी
	चालू वर्ष	चालू वर्ष	चालू वर्ष
31.03.2011 को दायित्व का वर्तमान मूल्य (i)	20.47	07.17	0.65
31.03.2011 को योजनागत परिसंपत्तियों का फेयर मूल्य (ii) (*)	20.47	-	-
अंतर (i) - (ii)	-	-	-
तुलन पत्र में मान्य नेट देयता	-	07.17	0.65

* *इस निधि को पावरग्रिड कर्मचारी उपदान निधि न्यास अनुरक्षित करता है। योजनागत परिसंपत्तियों में अंतर, यदि कोई हो, तो उसे पावरग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड तथा पावर सिस्टम आपरेशन कारपोरेशन लिमिटेड के समग्र कर्मचारियों के लिए होल्डिंग कंपनी की बही में दर्शाया जाता है।*

ग) वर्ष के दौरान योजना की परिसंपत्तियों पर भारित औसत दर 8.79 प्रतिशत है (पूर्व में शून्य)

घ) परिभाषित दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

	गैच्युटी	पी आर एम एफ	ओ डी आर बी
	चालू वर्ष	चालू वर्ष	चालू वर्ष
01.10.2010 को दायित्व का वर्तमान मूल्य	18.5	5.13	0.62
ब्याज लागत	-0.03	0.31	0.02
चालू सेवा लागत	0.47	0.22	0.01
भुगतान किया गया लाभ	-0.75	-0.07	0
दायित्वों पर निवल बीमांकिक (लाभ/हानि)	2.28	1.58	0
31.03.2011 को परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	20.47	7.17	0.65

च. योजनागत परिसंपत्ति (ग्रैच्युटी) का ब्यौरा

31 मार्च, 2011 को योजनागत परिसंपत्तियों का ब्योरा इसलिए नहीं दिया गया है कि पावरग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड के कर्मचारियों और सेकेंडमेंट आधार पर पावर सिस्टम आपरेशन कारपोरेशन इंडिया लिमिटेड के कर्मचारियों के सम्मिलित निधियों का अनुरक्षण पावरग्रिड कर्मचारी ग्रैच्युटी निधि न्यास द्वारा किया जाता है।

छ. बीमांकिक पूर्वानुमान

बीमांकिक मूल्यांकन के लिए इस्तेमाल में लाए गए बीमांकिक पूर्वानुमान इस प्रकार हैः

(i) इस्तेमाल की गई पद्धति - प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट

(ii) छूट (डिस्काउंट दर) - 8 प्रतिशत (पूर्व वर्ष में शून्य)

(iii) परिसंपत्तियों पर अनुमानित प्रतिफल दर (केवल ग्रैच्युटी)- 8.50 प्रतिशत (पूर्व वर्ष शून्य)

(iv) भावी वेतन वृद्धि - 5.5 प्रतिशत (पूर्व वर्ष शून्य)

भावी वेतन वृद्धि का अनुमान (i) मुद्रास्फीति (ii) वरिष्ठता, (iii) प्रोन्नति और (iv) अन्य संगत कारकों जैसे रोजगार बाजार में मांग और पूर्ति के ध्यान में रखकर बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लगाया गया है।

16) खण्ड रिपोर्टिंग

कंपनी का मुख्य व्यापार है विद्युत प्रणाली और बाजार प्रचालन और व्यापार सेगमेंट से भिन्न कोई अन्य व्यापार सेगमेंट आस्तित्व में नहीं है। कंपनी भारत में ही प्रचालन करती है, और भिन्न-भिन्न जोखिमों और प्रतिफल के साथ आर्थिक माहौल में इसका कोई प्रचालन नहीं है। इसलिए इसे एक भौगोलिक खण्ड में प्रचालित किया माना जाता है।

17) संबंद्ध पार्टी प्रकटन

क) संयुक्त उद्यम

(i) पावरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड
(ii) टोरेंट पावरग्रिड लिमिटेड
(iii) जेपी पावरग्रिड लिमिटेड
(iv) पार्बती कोलडैम ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड
(v) तीस्तावैली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड
(vi) नॉर्थ ईस्ट ट्रांसमिशन लिमिटेड
(vii) नेशनल हाई पावर टेस्ट लैबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड
(viii) एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड

ख) धारक कंपनी

पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

ग) मुख्य प्रबंधन कार्मिक

(i) श्री एस. के. चतुर्वेदी - अध्यक्ष
(ii) श्री जे. श्रीधरन, निदेशक (30.4.2011 को सेवानिवृत्त)
(iii) श्री आर. एन. नायक, निदेशक
(iv) श्री एफ. ए. वांद्रेवाला, निदेशक (20.10.2010 से नियुक्त)

घ) होल्डिंग कंपनी के साथ लेन-देन इस प्रकार हैः

नोट संख्या 2 पर बताए गए कार्य संव्यवहार के अतिरिक्त, कंपनी ने ₹7.67 करोड़ के सिस्टम आपरेशन प्रभार प्राप्त किए हैं तथा ₹0.11 करोड़ की छूट दी है। कंपनी ने डार्क फाइबर लीज प्रभार के लिए ₹2.57 करोड़ का भुगतान किया है।

ङ) स्वतंत्र निदेशक के लिए निदेशक की बैठक फीस ₹10,000 मात्र (पूर्व वर्ष में शून्य)

18) पट्टे से संबधित प्रकटन

प्रचालन पट्टेः

कंपनी के महत्वपूर्ण लीज प्रबंध कर्मचारियों के आवासीय उपयोग के लिए परिसर के प्रचालन के संबंध में होते हैं। कार्यालयों का नवीकरण आमतौर पर परस्पर सहमत शतों पर किया जाता है परंतु वे निरस्त नहीं किए जाते हैं। कर्मचारियों के पारिश्रमिक और लाभों में ₹1.59 करोड़ शामिल है (पूव वर्ष में शून्य) ताकि कर्मचारियों के आवासीय प्रयोग के लिए परिसर हेतु पट्टे का भुगतान वसूली आदि की जा सके।

19) एएस-20 के प्रावधानों के अनुसार प्रति शेयर अर्जन की गणना की गई

	31.03.2011 को	31.03.2010 को
न्यूमरेटर लाभ और हानि खाते के अनुसार लाभ/(हानि) (न्यूमरेटर के रूप में प्रयुक्त ₹ करोड़	11.21	(1.28)
डिनोमीनेटर		
इक्विटी शेयरों की संख्या (अंकित मूल्य ₹10/- प्रत्येक	30640000	50000
वर्ष के दौरान आबंटित शेयरों की संख्या	30590000	50000
प्रति शेयर मूल आय की गणना करने के लिए इक्विटी शेयरों का भारित औसत	15303096	50000
प्रति शेयर डाइलूटेड आय की गणना करने के लिए इक्विटी शेयरों का भारित औसत	15303096	50000
प्रति शेयर मूल आय (प्रति शेयर अंकित मूल्य ₹10/-	7.33	(256.04)
प्रति शेयर डाइलूटेड आफ (प्रति शेयर अंकित मूल्य ₹10/-	7.33	(256.04)

20. वर्ष के दौरान कंपनी के आस्थगित कर के रूप में ₹3.35 करोड़ (पूर्व वर्ष शून्य) प्रदान किए हैं। आस्थगित कर के मुख्य घटक इस प्रकार हैं :

(₹ करोड़ में)

	31.03.2011 की यथास्थिति
विलम्बित कर देयता (क)	-
विलम्बित कर परिसंपत्ति	
अचल परिसंपत्तियों के लिए (निवल) शामिल करने से पूर्व व्यय	0.82
धारा 43बी के तहत कर्मचारियों के लाभ छूट्टी का नकदीकरण, प्रोत्साहन	0.33
उप-योग (ख)	2.20
निवल आस्थगित कर परिसंपत्तियां (ख-क)	**3.35**
	3.35

21) एएस-28 ''इम्पेयरमेंट आफ एसट्स'' के अनुसार, कंपनी के नकद उत्पादक इकाइयों का मूल्यांकन कर कंपनी की परिसंपत्तियों की क्षति का विश्लेषण/ क्षति के कारण किसी हानि की पहचान नही की गई। चालू वर्ष के दौरान, क्षति का ऐसा कोई संकेत नहीं है जिसके लिए वसूली जाने योग्य परिसंपत्तियों की के पुनर्मूल्यांकन की जुरुरत पड़े।

22) अनुबंधों की अनुमानित राशि जो पूंजीगत खातों के संबंध में कार्यान्वित किए जाने के लिए शेष है और जो इसके लिए प्रदान नहीं की गई है, शून्य है। शून्य ₹ करोड़ (पूर्व वर्ष शून्य करोड़)।

23) जैसा कि ''प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियों के एएस-29 में आवश्यक है, आकस्मिक देयताओं के संबंध में खुलासा।

आकस्मिक देयताएं

डब्ल्यू आर ई बी, मुंबई ने आफिस और स्टाफ क्वार्टर के स्थान के लिए वर्ष, 2010 में ₹99.84 लाख की मांग की है जिसे कंपनी ने नहीं माना है और कंपनी ने विद्युत मंत्रालय के समक्ष आफिस के स्थान और आवासीय क्वार्टरों के स्वामित्व के अंतरण की मांग की है।

24) क) कंपनी के पास उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर ऐसे आपूर्तिकर्ता/सेवा प्रदाता नहीं है जो 31 मार्च, 2011 तक ''सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006'' के तहत पंजीकृत हों।

ख) 31 मार्च, 2011 को लघु स्तरीय/आनुषंगिक उद्योगों से खरीददारी/सेवाओं के संबंध में कोई भुगतान शेष नहीं है

25) क) सीआईएफ आधार पर गणना किए गए निर्यात का मूल्यः

(₹ करोड़ में)

	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
(i) पूंजी माल	-	-
(ii) अतिरिक्त पुर्जे	-	-

ख) विदेशी मुद्रा में व्यय (प्रोद्भवन आधार पर)

(₹ करोड़ में)

	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
(i) मरम्मत और अनुरक्षण	2.92	-
(ii) विदेश यात्रा	0.01	-
(ii) अन्य		

ग) प्रयुक्त संघटको, भंडारों और अतिरिक्त पुर्जों का मूल्य

(₹ करोड़ में)

	प्रतिशत	चालू वर्ष	प्रतिशत	पूर्व वर्ष
(i) आयातित	-	-	-	-
(ii) देशी (ईंधन सहित)	100%	0.05	-	-

घ) विदेशी मुद्रा में अर्जन

(₹ करोड़ में)

	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
आय	शून्य	शून्य

26) कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची-VI के भाग IV के तहत आवश्यक अतिरिक्त सूचनाएं तुलनपत्र का सार और कंपनी की सामान्य बिजनेस प्रोफाइल

(i) पंजीकरण संख्या :

पंजीकरण संख्या	यू40105डीएल 2009 जीओआई 188682
राज्य कोड	055
तुलन पत्र की तारीख	31 मार्च, 2011

(ii) वर्ष के दौरा एकत्र की गई पूंजी :

(₹ करोड़ में)

पब्लिक इशू	शून्य
राइट इशू	शून्य
अनुबंध के पश्चात नकद से भिन्न विचार के लिए निजी स्थापन (पावरग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया - होल्डिंग कंपनी को जारी)	30.59
बोनस इशू	शून्य

(iii) निधियां जुटाने और उनका इस्तेमाल करने की स्थिति

(₹ करोड़ में)

कुल देयताएं	1198.22
कुल परिसंपत्तियां	1198.22

निधियों के स्रोत	
संदत्त पूंजी	30.64
रिजर्व और अधिशेष	46.28
सुरक्षित ऋण	-
असुरक्षित ऋण	89.35
सहायता अनुदान	2.00
आस्थगित कर देयता	-
निधियों का उपयोग	
निवल अचल परिसंपत्तियां	51.14
पूंजी कार्य प्रगति पर (इसके निर्माण, स्टोर और अग्रिम शामिल है)	0.75
निवेश	-
निवल चालू परिसंपत्तियां	113.03
आस्थगित अचल परिसंपत्तियां	3.35

(iv) कंपनी का कार्यनिष्पादन

(₹ करोड़ में)

कारोबार/आय	97.31
अन्य आय (सहायता अनुदान से अंतरण सहित	18.40
कुल व्यय	89.30
कर पूर्व लाभ	26.41
करोपरांत लाभ और आस्थगित कर	11.21
प्रति शेयर आय (मूल) ₹	7.33
लाभांश राशि	3.06

(v) कंपनी के प्रमुख उत्पाद/सेवा के सामान्य नाम

मद कोड संख्या : लागू नहीं

उत्पाद विवरण : राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र (एनएलडीसी) तथा क्षेत्रीय भार प्रेषण केंद्रों (आरएलडीसी) के प्रचालन

27) क) आंकड़े, करोड़ ₹ के निकटतम पूर्णांक तक बना दिए गए हैं।

ख) यथावश्यक, पूर्व वर्ष के आंकड़े भी दिए गए हैं।

ग) यथावश्यक, पूर्व वर्ष के आंकड़े पुनःसमूहबद्ध/ पुनःव्यवस्थित किए गए हैं।

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

(एस. के. सोनी)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

(आर. टी. अग्रवाल)
निदेशक

(एस. के. चतुर्वेदी)
अध्यक्ष

कृते अरूण सिंह एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 011863एन

(रवि कपूर)
साझेदार
सदस्यता संख्या 095214

स्थान : गुड़गांव
दिनांक : 16.05.2011

31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार
क. प्रचालन गतिविधियों से		
नकद प्रवाह	**26.41**	(1.28)
निम्नलिखित के लिए समायोजन		
मूल्यह्रास	30.92	-
सहायता अनुदान से अंतरण	(3.06)	-
अचल परिसंपत्तियों के निपटान/बट्टे खाते डालने पर निवल हानि	0.01	-
ब्याज और वित्तीय प्रभार	1.23	-
वसूल न किया गया एफईआरवी लाभ	(0.01)	-
बट्टे खाते डाला गया एफईआरवी	0.09	-
कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पूर्व प्रचालन लाभ	55.59	(1.28)
निम्नलिखित के लिए समायोजन :		
(व्यापारिक और अन्य प्राप्य में वृद्धि/कमी)	(90.02)	-
(व्यापारिक भुगतानों और अन्य देयताओं में वृद्धि/कमी)	(1055.94)	1.28
(अन्य चालू परिसंपत्तियों में वृद्धि/कमी)	29.09	-
(ऋणों तथा अग्रिमों में वृद्धि/कमी)	90.16	-
एलडीसी विकास	(1026.71)	1.28
निधि के लिए प्राप्त अंशदान	14.19	-
भुगतान किया गया प्रत्यक्ष कर	(19.00)	-
प्रचालन गतिविधियों से निवल नकद	(975.93)	-
ख. निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह		
अचल परिसंपत्तियों की खरीद	(6.26)	-
निवेश गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकद	(6.26)	-
ग. वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह		
शेयरों को जारी करने से आगम	-	0.05
वर्ष के दौरान जुटाया गया ऋण	49.04	-
संदत्त ब्याज और वित्त प्रभार	(1.32)	-
वित्तीय गतिविधियों से निवल रोकड़	47.72	0.05
घ. नकद और नकद के समकक्ष में निवल परिवर्तन (क+ख+ग)	(934.47)	0.05
ङ नकद और नकद के समकक्ष (प्रचालन शेष)	0.05	-
च. होल्डिंग कंपनी से लिया गया नकद और नकद के समकक्ष	1928.99	-
छ. नकद और नकद के समकक्ष (अंत शेष) (घ+ङ+च)	994.57	0.05

नोट : नकद और नकद के समकक्ष में उपलब्ध नकद राशि और बैंकों में शेष राशि आती है जिसमें ₹944.84 करोड़ शामिल हैं जो निर्दिष्ट बैंक खातों में रखा गया है जिन्हें सीईआरसी द्वारा प्रचालित और अनुरक्षित किया जाता है।
कंपनी ने ₹76.55 करोड़ की अचल परिसंपत्तियां और ₹5.13 करोड़ की नेट चालू परिसंपत्ति, ₹5.06 करोड़ का सहायता अनुदान, ₹25.72 करोड़ की एलडीसी विकास निधि एवं ₹40.31 करोड़ का ऋण अधिग्रहित किया है। कंपनी ने निवल खरीदारी विचार के समाधान के लिए ₹30.59 करोड़ के इक्विटी शेयर आबंटित किए हैं। इन लेन-देन को नहीं दर्शाया गया है क्योंकि वास्तविक नकद प्रवाह (कैश इनफ्लो)/आउटफ्लो नहीं हुआ है।

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

(एस. के. सोनी)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

(आर. टी. अग्रवाल)
निदेशक

(एस. के. चतुर्वेदी)
अध्यक्ष

कृते अरूण सिंह एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 011863एन
(रवि कपूर)
साझेदार
सदस्यता संख्या 095214

स्थान : गुड़गांव
दिनांक : 16.05.2011

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,
सदस्यगण
पावर सिस्टम आपरेशन कारपोरेशन लिमिटेड

1. हमने पावर सिस्टम आपरेशन कारपारेशन लिमिटेड की 31 मार्च, 2011 तक के संलग्न तुलन पत्र की लेखा परीक्षा की है तथा उसके साथ उस तारीख को समाप्त वर्ष की लाभ-हानि लेखा तथा नकद प्रवाह विवरण भी संलग्न किया है। ये वित्तीय विवरण कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी हैं। हमारी जिम्मेदारी हमारे द्वारा की गई लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों के संबंध में अपना मत व्यक्त करना है।

2. हमने भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की। इन मानकों के लिए आवश्यक है कि हम यह तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा की योजना बनाकर उसे कार्यान्वित करें कि क्या वित्तीय विवरण वास्तविक गलतब्यानी है। किसी भी लेखापरीक्षा में परीक्षण आधार पर राशि के समर्थनकारी दस्तावेजों और वित्तीय विवरण के खुलासों की जांच की जाती किसी लेखा परीक्षा में प्रयोग में लाए गए लेखाकरण सिद्धांतों तथा प्रबंधन द्वारा लगाए गए अनुमानों आकलन तथा समग्र वित्तीय विवरण प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन शामिल होता है। हमारा विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा से हमारी राय को तर्कसंगत आधार प्राप्त होता है।

3. कंपनी विद्युत अधिनियम, 2003 से अधिशासित होती है। हालांकि उक्त अधिनियम से विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 और विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 निरस्त हो गया है, तथापि, निरस्त अधिनियम के कुछ उपबंध, जिस सीमा तक वे उक्त अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, का प्रयोग कंपनी ने वित्तीय विवरण तैयार करते समय किया। इसके अतिरिक्त, उक्त अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के साथ पठित इसके प्रावधान उस स्थिति में अभिभावी हुए हैं जब वे कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों से असंगत पाए गए हैं।

4. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 (4क) के अनुसार भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट (संशोधन) आदेश के साथ पठित कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2003 की अपेक्षा के अनुसार हम उक्त आदेश के पैराग्राफ 4 और 5 में विनिर्दिष्ट मामलों के संबंध में अनुलग्नक में एक विवरण संलग्न करते है।

5. उपर्युक्त पैराग्राफ 4 में निर्दिष्ट अनुबंध में हमारी टिप्पणियों में हमारी रिपोर्ट है कि :

   (क) हमें वे सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त हुए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारे द्वारा की जाने वाली लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक है।

   (ख) हमारी राय में बहियों की छानबीन से प्रतीत होता है कि विधि की अपेक्षा के अनुसार उचित लेखा बहियां रखी गई हैं।

   (ग) इस रिपोर्ट में शामिल किया गया तुलन पत्र लाभ और हानि खाता और नकद प्रवाह विवरण लेखा बही के अनुरूप है।

   (घ) हमारी राय में उपर्युक्त पैराग्राफ 3 में हमारी टिप्पणियों के अध्यधीन, तुलन पत्र, लाभ और हानि लेखा तथा नकद प्रवाह विवरण जो इस रिपोर्ट में शामिल किए गए हैं कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 की उप धारा 3 (ग) में संदर्भित लेखाकरण मानकों के अनुरूप है।

   (ङ) कंपनी कार्य विभाग द्वारा जारी किए गए दिनांक 17.7.2003 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 829(अ) के अनुसरण में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274 की उपधारा (1) का खंड (छ) जो निदेशकों की अनर्हता के संबंध में है, सरकारी कंपनी पर लागू नहीं होता।

   (च) हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दी गई सूचनाओं और स्पष्टीकरण के अनुसार अनुसूची 19 में दी गई लेखांकन टिप्पणियां तथा उसके साथ संलग्न लेखाकरण नीतियां के साथ पठित जहां तक ये विद्युत अधिनियम, 2003 के असंगत नहीं हैं, कंपनी अधिनियम, 1956 द्वारा अपेक्षित आवश्यक रीति से उपलब्ध करती है तथा भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखाकरण नीतियों के अनुरूप सत्य और निष्पक्ष तस्वीर पेश करती है।

      (i) 31 मार्च, 2011 तक की स्थिति के अनुसार कंपनी के मामलों में तुलनपत्र के मामले में।

      (ii) उस तारीख को समाप्त वर्ष के लाभ के लिए लाभ और हानि खाते के मामले में।

      (iii) उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के नकद प्रवाह के नकद प्रवाह विवरण के मामले में।

कृते अरूण सिंह एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 011863एन

(रवि कपूर)
साझेदार
सदस्यता संख्या 095214

स्थान : गुड़गांव
दिनांक : 16.05.2011

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध

पावर सिस्टम आपरेशन कारपोरेशन लिमिटेड के संदर्भ में : समसंख्यक तारीख की हमारी रिपोर्ट के पैराग्राफ 4 में उल्लिखित अनुबंध

1. (क) कंपनी ने आमतौर पर अचल परिसंपत्तियों का रिकार्ड रखा है जिसमें अचल परिसंपत्तियों के मात्रा संबंधी ब्यौरे तथा स्थिति दर्शाई गई है।

   (ख) वर्ष के दौरान बाहरी एजेंसियों द्वारा परिसंपत्तियों का वास्तविक सत्यापन किया गया है और ऐसे सत्यापन में पाई गई विसंगतियां हालांकि मामूली है, लेखा बही में समायोजित की गई है। हमारी राय में सत्यापन की आवृत्ति तर्कसंगत है।

   (ग) वर्ष के दौरान कंपनी ने अपनी परिसंपत्तियों के बड़े हिस्से का निपटान नहीं किया है।

2. कंपनी ने कोई माल नहीं खरीद इसलिए आदेश के पैराग्राफ 4 के खंड 4 (ii) (क) (ख) और (ग) वर्ष के लिए लागू नहीं है।

3. (क) कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के तहत रखे गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों या अन्य पक्षों के सुरक्षित या असुरक्षित किसी प्रकार का ऋण नहीं दिया है।

   (ख) कंपनी ने 31.3.2011 तक की स्थिति के अनुसार धारक कंपनी पावरग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया से 89.55 करोड़ रुपये का असुरक्षित ऋण लिया है। सूचनाओं के आधार पर बनी हमारी राय में प्रथम दृष्टया कंपनी द्वारा लिए गए ऋण की निबंधन और शर्तों तथा ब्याज दर से कंपनी के हितों पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा। आर एल डी सी फीस और प्रभारों की वसूली लंबित होने के कारण मूलधन और ब्याज की राशि का भुगतान अभी नहीं किया गया है।

4. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार सिस्टम आपरेशन तथा मार्केट आपरेशन से होने वाली आय और अचल परिसंपत्तियों के संबंध में कंपनी के आकार और व्यापार की प्रकृति के अनुरूप पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है।

5. हमें उपलब्ध कराई गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 में दिए गए संदर्भ के अनुसार इस धारा के अनुसार रखे गए रजिस्टर में दर्ज करने के लिए कोई अनुबंध या प्रबंध नहीं है। तदनुसार, आदेश के पैराग्राफ 4 का खंड (V) लागू नहीं होता।

6. चूंकि कंपनी ने जनता से कोई धनराशि जमा नहीं करवाई है इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निदेशों तथा धारा 58-क, 58-कक के प्रावधानों तथा कंपनी अधिनियम, 1956 के संगत प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुपालन का प्रश्न ही नहीं उठता।

7. कंपनी की आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली मौजूद है। हमारी राय में आंतरिक लेखा का विस्तार और क्षेत्र व्यापार के आकार और प्रकृति के अनुरूप है।

8. केंद्रीय सरकार ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209 (1) (घ) के तहत लागत रिकार्डों का रखरखाव निर्धारित नहीं किया है।

9. (क) हमें उपलब्ध कराई गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी समुचित प्राधिकारियों का भविष्य निधि, आयकर, बिक्री कर, वित्त कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क तथा कंपनी के लिए लागू अन्य सांविधिक देयताओं को छोड़कर जमा करने को नियमित रूप से सांविधिक देयताएं जमा करती रही हैं तथा 31.03.2011 तक की स्थिति के अनुसार जिस तारीख को सांविधिक देयताएं देय होती हैं उससे छह माह के अधिक समय से कोई देयता बकाया नहीं है। जैसा कि सूचित किया जा चुका है, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम कंपनी पर लागू नहीं होते।

   (ख) हमें उपलब्ध कराई गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार निम्नलिखित विवादास्पद आयकर/बिक्री कर/सीमा शुल्क/वित्त कर/सेवा कर/उत्पाद शुल्क/उपकर देयताएं जमा नहीं की गई हैं।

विवरण	राशि (₹ करोड़)	जहां लंबित हैं
अनुमानों पर आयकर (टी डी एस)	2.59 करोड़	उच्च न्यायालय, कोलकाता

10. कंपनी पांच वर्ष से कम अवधि के लिए पंजीकृत है। इसलिए आदेश के पैराग्राफ 4 का खंड 4(x) वर्ष के लिए लागू नहीं है।
11. हमारे द्वारा अपनाई गई लेखापरीक्षा प्रक्रिया के आधार पर तथा रिकार्डों के अनुसार कंपनी ने किसी भी वित्तीय संस्था या बैंक या बांडधारक को देनदारियां चुकाने में कोई चूक नहीं की है।
12. कंपनी ने शेयरों, डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों के संबंध में वायदा कर प्रतिभूतियों के आधार किसी ऋण या अग्रिम का भुगतान नहीं किया है।
13. कंपनी कोई चिट-फंड या निधि/म्युचूअल लाभ निधि/ सोसायटी नहीं है। तदनुसार आदेश के पैराग्राफ 4 का खंड xii लागू नहीं होता है।
14. हमारी राय में कंपनी शेयर, डिबेंचर या अन्य किसी प्रकार के निवेश में संलग्न नहीं है। तदनुसार, आदेश के पैराग्राफ 4 का खंड xiv लागू नहीं होता है।
15. जैसाकि हमें सूचित किया गया है कंपनी ने दूसरों के द्वारा बैंकों या वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋण की कोई गारंटी नहीं दी है।
16. हमारी राय में कुल मिलाकर तथा हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई आवधिक ऋण नहीं लिया है।
17. हमारी राय में कुल मिलाकर तथा हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी अल्पकालिक आधार पर जुटाए गए धन का उपयोग दीर्घकालिक निवेश के लिए नहीं किया है।
18. कंपनी ने विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश के अनुसार अंकित मूल्य आधार पर परिसंपत्तियों और देयताओं के अंतरण के लिए नेट खरीददारी पर विचार के एवज़ में होल्डिंग कपंनी पावरग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया को 3,05,90,000 शेयरों का आबंटन किया है। इन शेयरों को सममूल्य पर जारी किया गया है तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार इससे कंपनी के हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
19. कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई डिबेंचर जारी नहीं किया है।
20. वर्ष के दौरान कंपनपी ने पब्लिक इश्यू के माध्यम से कोई धन नहीं जुटाया है।
21. हमें उपलब्ध कराई गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार हमारे द्वारा की गई लेखा परीक्षा में कंपनी के साथ या कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी नहीं पाई गई है।

कृते अरूण सिंह एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 011863एन

(रवि कपूर)
साझेदार
सदस्यता संख्या 095214

स्थान : गुड़गांव
दिनांक : 16.05.2011